राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

izFke&ekxZnf'kZdk jktuhfr&foKku

2016-17

2016-17

प्रथम-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

jk"Vªokn ,oa fodkl

xq.kkRed] :fpdj ,oa fØ;kRed
v/;;u ekxZnf'kZdk
(jktuhfr&foKku izoDrkvksa gsrq)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

गुणात्मक, रूचिकर एवं क्रियात्मक अध्ययन मार्गदर्शिका

(राजनीति-विज्ञान प्रवक्ताओं हेतु)

2016-17

SCERT

स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

द्वितीय–मार्गदर्शिका

राजनीति–विज्ञान

संविधान का दर्शन एवं व्यवहार

मुख्य सलाहकार

आई.ए.एस. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार

चेयरपर्सन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली

मार्ग दर्शन

श्रीमती अनिता सेतिया

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

डॉ. प्रतिभा शर्मा

संयुक्त निदेशक एवं राज्य शिक्षक समन्वयक एस.सी.ई.आर.टी.

शैक्षिक समन्वयक

डॉ. नीलम

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट केशव कुमार

लेखन समूह

डॉ. नीलम	डाइट राजेन्द्र नगर
डॉ. पवन कुमार	डाइट केशव पुरम
श्रीमान मदन साहनी	सी.बी.एस.ई. विषय विशेषज्ञ
डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान श्याम किशोर गुप्ता	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान तपराज दत्त	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान रमेश	रावल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
मोहम्मद नासिर	शिक्षा निदेशालय
श्रीमती ऊषा किरन	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान अरूण कुमार	एस.सी.ई.आर.टी.
श्रीमान राजीव रंजन	एस.सी.ई.आर.टी.

वेटिड एवं सम्पादन

श्रीमान मदन साहनी

डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी

प्रकाशन समूह

सपना यादव एवं मीनाक्षी यादव

प्रकाशक : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

टंकण : एजूकेशनल स्टोर्स, एस-5, बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-I, गाजियाबाद (उ.प्र.)

विषय-सूची

1.	संविधान-क्यों और कैसे?	40
2.	संविधान का राजनीतिक दर्शन	47
3.	लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट	51
4.	संविधान एक जीवंत दस्तावेज	58
5.	संघवाद	62
6.	क्षेत्रीय आकांक्षाएँ	70

POLITICAL SCIENCE (028)
Class - XI (2016-17)

One Paper

Marks: 100
Time: 3 hrs.

Units		Periods: 220	Marks: 100
Part A: Indian Constitution at work			
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights in the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	The Executive	11	
5	The Legislature	11	10
6	The Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a living document	11	8
	Total	**110**	**50**
Part B: Political Theory			
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	1 I	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENT

Part A: Indian Constitution at Work

1. **Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution** **17 Periods**

   Constitution: Why and How, The making of the Constitution, the Constituent Assembly, Procedural achievements and Philosophy of the Constitution.

2. **Rights in the Indian Constitution** **16 Periods**

The importance of Rights, Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles

3. **Election and Representation** **11 Periods**

Elections and Democracy, Election System in India, Reservation of Constituencies, Free and Fair Elections, Electoral Reforms

4. **Legislature** **11 Periods**

Why do we need a Parliament? Two Houses of Parliament. Functions and Power of the Parliament, Legislative functions, control over Executive. Parliamentary committees. Self-regulation.

5. **Executive** **11 Periods**

What is an Executive? Different Types of Executive. Parliamentary Executive in India, Prime 'Minister and Council of Ministers. Permanent Executive: Bureaucracy.

6. **Judiciary** **11 Periods**

Why do we need an Independent Judiciary? Structure of the Judiciary, Judicial Activism, Judiciary and Rights, Judiciary and Parliament.

7. **Federalism** **11 Periods**

What is Federalism? Federalism in the Indian Constitution, Federalism with a strong Central Government, conflicts in India's federal system, Special Provisions.

8. **Local Governments** **11 Periods**

Why do we need Local Governments? Growth of Local Government in India, 73rd and 74th Amendments, implementation of 73rd and 74th Amendments.

9. **Constitution as a Living Document** **11 Periods**

Are Constitutions static? The procedure to amend the Constitution. Why have there been so many amendments? Basic Structure and Evolution of the Constitution. Constitution as a Living Document.

Part B: Political Theory

10. **Political Theory: An Introduction** **10 Periods**

What is Politics? What do we study in Political Theory? Putting Political Theory to practice. Why should we study Political Theory?

11. **Freedom** **11 Periods**

The Ideal of Freedom. What is Freedom? Why do we need constraints? Harm principle. Negative and Positive Liberty.

12. **Equality** **11 Periods**

Significance of Equality. What is Equality? Various dimensions of Equality. How can we promote Equality?

13. **Social Justice** **12 Periods**

What is Justice? Just Distribution. Justice as fairness. Pursuing Social Justice.

14. **Rights** **11 Periods**

What are Rights? Where do Rights come from? Legal Rights and the State. Kinds of Rights. Rights and Responsibilities.

15. **Citizenship** **11 Periods**

What is citizenship? Citizen and Nation, Universal Citizenship, Global Citizenship

16. **Nationalism** **11 Periods**

Nations and Nationalism, National Self-determination, Nationalism and Pluralism

17. **Secularism** **11 Periods**

What is Secularism? What is Secular State? The Western and the Indian approaches to Secularism. Criticisms and Rationale of Indian Secularism.

18. **Peace** **11 Periods**

What is Peace? Can violence ever promote peace? Peace and the State. Different Approaches to the pursuit of peace. Contemporary challenges to peace.

19. **Development** **11 Periods**

What is development? Dominant, development Model and alternative conceptions of development.

Prescribed Books:

1. Indian Constitution at work, Class XI, Published by NCERT
2. Political Theory, Class XI, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17

POLITICAL SCIENCE **Code No. 028** **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Max. Marks: 100**

S. No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages	Map Question Picture based inter -pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks	% weig htage
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific- facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)			1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2 .		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking	1 .	1		1 -	1	2	25	25%
4	**High Order Thinking Skills** (Analysis fit Synthesis-Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation - (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		1×5=5	2×5=10	4×6=24	5×3=15	5×2=10	6×6=36	100	100%

POLITICAL SCIE7NCE (Code No. 028)

Class -XI (2016-17)

Question Paper Design

One Paper 100 Marks

Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights of the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	Executive	11	
5	Legislature	11	10
6	Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a Living Document	11	08
	Total	**110**	**50**
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

3. Weightage of Difficulty Level — Percentage

   Estimated difficulty level — 20%

   Difficult — 50%

   Average Easy — 30%

4. Scheme of Options:

   There is internal choice for long answer questions of 6 marks.

   There are three passage - based questions of 5 marks each. No questions from plus (+) boxes.

5. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

POLITICAL SCIENCE (Code No. 028)
Class -XII (2016-17)

One Paper

Marks: 100
Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
Part A: Contemporary World Politics			
1	Cold War Era	14	14
2	The End of bipolarity	13	
3	US Hegemony in World Politics	13	
4	Alternative centres of Power	'11	16
5	Contemporary South Asia	13	
6	International Organizations	13	10
7	Security in Contemporary World	11	
8	Environment and Natural Resources	11	10
9	Globalisation	11	
	Total	**110**	**50**
Part B: Politics in India since Independence			
10	Challenges of Nation-Building	13	
11	Era of One-party Dominance	12	16
12	Politics of Planned Development	11	
13	India's External relations	13	6
14	Challenges to the Congress System	13	12
15	Crisis of the Democratic Order	13	
16	Rise of Popular Movements	11	
17	Regional aspirations	11	16
18	Recent Developments in Indian Politics	13	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENTS

Part A: Contemporary World Politics

1	**Cold War Era** Emergence of two power blocs after the second world war. Arenas of the cold war. Challenges to Bipolarity: Non Aligned Movement, quest for new international economic order.India and the cold war.	14 Periods
2	**The End of Bipolarity** New entities in world politics: Russia, Balkan states and Central Asian states, Introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regimes. India's relations with Russia and other post-communist countries.	13 Periods
3	**US Hegemony in World** Politics% Growth of unilateralism: Afghanistan, first Gulf War, response to 9/11 and attack on Iraq.Dominance and challenge to the US in economy and ideology. India's renegotiation of itsrelationshipwith the USA	13 Periods
4	**Alternative Centres of Power** Rise of China as an economic power in post-Maoera, creation and expansion of European Union, ASEAN. India's changing relations with China.	11Periods
5	**Contemporary South Asia in the Post-Cold War Era** Democratisation in Pakistan and Nepal. Ethnic conflict in Sri Lanka, Impact of economicglobalization on the region. Conflicts and efforts for peace in South Asia. India's relations with its neighbours.	13 Periods
6	**International Organizations** Restructuring and the future of the UN. India's position in the restructured UN. Rise of newinternational actors: new international economic organisations, NGOs. How democratic andaccountable are the new institutions of global governance?	13 Periods
7	**Security in Contemporary World** Traditional concerns of security and politics of disarmament. Non-traditional or human Security: global poverty, health and education. Issues of human rights and migration.	11Periods
8	**Environment and Natural Resources**Environment movement and evolution of global environmental norms. Conflicts over traditional and common property resources. Rights of indigenous people. India's stand in global environmental debates.	11 Periods
9	**Globalisation** Economic, cultural and political manifestations. Debates on the nature of consequences of globalisation. Anti-globalisation movements. India as an arena of globalization and struggle against it.	11Periods
Part B: Politics in India since Independence		
10	**Challenges of Nation- Building** Nehru's approach to nation-building; Legacy of partition: challenge of refugee' resettlement, the Kashmir problem. Organisation and reorganization of states; Political conflicts over language.	13 Periods
11	**Era of One-Party** Dominance First three general elections, nature of Congress dominance at the national level, uneven dominance at the state level, coalitional nature of Congress. Major opposition parties.	12 Peroids
12	**Politics of Planned Development** Five year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interests. Famine and suspension of five year plans. Green revolution and its political fallouts.	11 Periods
13	**India's External Relations** Nehru's foreign policy. Sino-Indian war of 1962, Indo-Pak war of 1965 and 1971. India's .nuclear programme. Shifting alliance in world politics.	13 Periods
14	**Challenges to the Congress System** Political succession after Nehru. Non-Congressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress' victory in 1971 elections, politics of 'garibi hatao'.	13 Periods

15	**Crisis of the Democratic Order** Search for 'committed' bureaucracy and judiciary. Navnirman movement in Gujarat and the' Bihar movement. Emergency: context, constitutional and extra-constitutional dimensions, resistance to emergency. .1977 elections and the formation of Janata Party. Rise of civil liberties organisations.	13 Periods
16	**Popular Movements in India** Farmers' movements, Women's movement, Environment and Development-affected people's movements. Implementation of Mandal Commission report and its aftermath.	11Periods
17	**Regional Aspirations** Rise of regional parties. Punjab crisis and the anti Sikh riots of 1984. The Kashmir situation. Challenges and responses in the North East.	11 Periods
18	**Recent Developments in Indian politics** Participatory upsurge in1990s. Rise of the JD and the BJP. Increasing role of regional parties and coalition politics. Coalition governments:NDA (1998 - 2004)UPA (2004 - 2014)NDA (2Q14 onwards)	13 Periods

Prescribed Books:

1. Contemporary World Politics, Class XII, Published by NCERT
2. Politics in India since Independence, Class XII, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17
Code No. 028

POLITICAL SCIENCE **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Wax. Marks: 100**

S.No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages and Picutres	Map Question Picture based inter-pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks age	%weight
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking		1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)		1	1		1	1	2	25	25%
4	High Order Thinking Skills (Analysis & Synthesis- Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety ofsources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation- (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		**1×5=5**	**2×5=10**	**4×6=24**	**5×3=15**	**5×2=10**	**6×6=36**	**100**	**100%**

Note: Care is to be taken to cover all chapters.

The weightage or the distribution of marks over the different dimensions paper shall be as follows:-

1. Weightage of Content

Part A: Contemporary World Politics

Units		Marks
1	Cold War Era	14
2	The End of Bipolarity	
3	US Hegemony in World Politics	
4	Alternative Centres of Power	16
5	Contemporary South Asia	
6	International Organizations	10
7	Security in Contemporary World	
8	Environment and Natural Resources	,0
9	Globalization	
	Total	**50**

Part B: Politics in India since Independence

Units		Marks
10	Challenges of Nation-Building	
11	Era of One-Party Dominance	16
12 .	Politics of Planned Development	
13	India's External Relations	6
14	Challenges to the Congress System	12
15	Crisis of the Democratic Order	
16	Rise of Popular Movements	
17	Regional Aspirations	16
18	Recent Developments in Indian Politics	
	Total	**50**

2. Weightage of Difficulty Level

Estimated difficulty level	Percentage
Difficult	20%
Average	50%
Easy	30%

3. Scheme of Options:

   There-is internal choice for long answer questions.

   Map question has choice only with another map.

   There are three passage-based or picture-based questions.

4. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

No. of Printed Pages : 8

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI

Time : 3 Hrs.] [M. M. : 100

General Instructions :

(i) All questions are compulsory.

(ii) Questions 1 to 5 are of one mark each. The answer to these questions should not exceed to 20 words each.

(iii) Questions 6 to 10 are of two marks each. The answer to these questions should not exceed 40 words each.

(iv) Questions 11 to 16 are of four marks each. The answer to these questions should not exceed 100 words each.

(v) Questions 17 to 19 are passage based. These are of 5 marks each.

(vi) Questions 20 to 21 are map or picture based. These questions too are of 5 marks each.

(vii) Questions 22 to 27 are of six marks each. The answer to these questions should not exceed 150 words each.

सामान्य निर्देश :

(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी प्रश्न एक-एक अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सभी प्रश्न दो-दो अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रश्न संख्या 11 से 16 तक सभी प्रश्न चार-चार अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(v) प्रश्न संख्या 17 से 19 गद्यांशों पर आधारित हैं। इनके पाँच-पाँच अंक हैं।

(vi) प्रश्न संख्या 20 से 21 मानचित्र अथवा चित्रों पर आधारित हैं। इनके अंक भी पाँच-पाँच हैं।

(vii) प्रश्न संख्या 22 से 27 दीर्घ उत्तरीय हैं। सभी प्रश्न छः-छः अंकों के हैं। इनके उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. What is meant by Mandamus ?

मैंडामस शब्द का क्या अर्थ है ?

2. From which country we borrowed the power of Judicial Review ? 1

भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा कहाँ से ली गई है ?

3. What is meant by peace. 1

शान्ति से क्या तात्पर्य है ?

4. Write two political rights of a citizen ? ½) 1

नागरिक के दो राजनीतिक अधिकार लिखिए।

5. Write full form of UNDP. 1

UNDP का पूर्ण रूप लिखिए।

6. What do you understand by 'Question Hour' ? 2

'प्रश्न काल' से आप क्या समझते हैं ?

7. Explain any two jurisdictions of Supreme Court. 2

सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए।

8. Mention two features of Indian Federation. 2

भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएँ लिखिए।

9. "Indian Constitution is a living document." Justify by writing your opinion about the statement. 2

"भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।" अपना तर्क देते हुए इस वाक्य का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

10. Distinguish between natural rights and fundamental rights. 2

प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर बताइए।

11. Describe any four functions of Election Commission of India. 4

भारतीय निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

12. What are the demands raised by states in their quest for greater autonomy ? 4

ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या माँगें उठाई हैं ?

13. Write any four changes that have been made in the Panchayati Raj System under 73rd Constitutional Amendment. 4

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली में किए गए कोई चार परिवर्तन लिखिए।

14. What does it mean to give each person his/her due ? How has the meaning of 'giving each his due' changed with time ? 4

हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है ? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला जा सकता है ?

15. Mention four differences between State and Nation. 4

राज्य और राष्ट्र में चार अन्तर बताइए।

16. 'Disarmament is necessary.' Why ? 4

'नि:शस्त्रीकरण आवश्यक है।' क्यों ?

17. Read the following passage and answer the questions based on it :

A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognise these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in Constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the 'Bill of rights'. A bill of rights prohibits government from thus acting agains the rights of individuals and ensure a remedy in case there is violation of these rights.

From whom does a Constitution protect the rights of the individual ? The rights of a person may be threatened by another person or private organisation. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So, it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government (the legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary) in the course of their functioning, may violate the rights of the person.

(a) How many fundamental rights are given to Indian citizen in the Constitution of India ? 1

(b) In case of violation of the fundamental rights of an individual, which fundamental right ensures remedy ? 1

(c) From whom does the Constitution protect the rights of an individual ? 3

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा-पत्र' कहते हैं। अत: अधिकारों का घोषणा-पत्र

सरकार को नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका) अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

(a) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?

(b) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में किस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत उनकी रक्षा की गई है?

(c) नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित किया गया है?

18. Read the following passage and answer the questions :

Positive liberty recognises that one can be free only in society (not outside it) and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society, outside this area, as such. Of cours, negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible keeping in mind, however, the stability of society. Generally they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking agruments of positive liberty.

(a) What is meant by positive liberty? 2

(b) What is the concept of negative liberty? 2

(c) According to the passage what negative statement are given against positive liberty? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

सकारात्मक स्वतन्त्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतन्त्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतन्त्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतन्त्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालाँकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व के ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएँ साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसा भी

हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

(a) सकारात्मक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?

(b) नकारात्मक स्वतन्त्रता की अवधारणा क्या है?

(c) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतन्त्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

19. Read the following passage and answer the questions based on it :

Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. Since many of these systems have a sanctions of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these systems of inequality. This what our constitution does. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, casts, sex or place of birth. Our Constitution also abolished the practice of untouchability. Most modern Constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race and religion or gender.

(a) What does the government do to establish equality? 2

(b) What is meant by 'Equality before law'? 2

(c) Which article of Constitution abolishes untouchability? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत-सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतान्त्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना 'सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव' के रूप में समाहित किया।

(a) समानता की स्थापना के लिए सरकारों ने क्या किया है?

(b) 'कानून के समक्ष समानता' से क्या अभिप्राय है?

(c) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है?

20. Study the cartoon given below carefully and answer the following questions :

(a) Who are the people standing in front of the stage ?

(b) Why are these people standing here and why are they looking very humble ?

(c) Which Parliamentary power does this cartoon reflect ?

उपरोक्त दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन हैं ?

(b) ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं तथा इतने दीन-हीन (विनम्र) क्यों दिख रहे हैं ?

(c) कार्टून संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ?

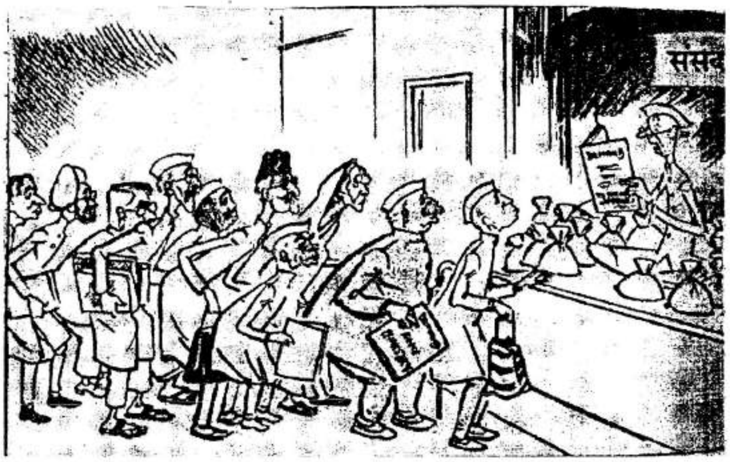

21. Study the picture given below and answer the following questions :

(a) What is meant by development ? 2

(b) What are the problems of developing countries ? 1

(c) Apart from electronic waste, which factors are responsible for damage of environment ? 2

दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) विकास से आप क्या समझते हैं ?

(b) विकासशील देशों की समस्याएँ क्या हैं ?

(c) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है ?

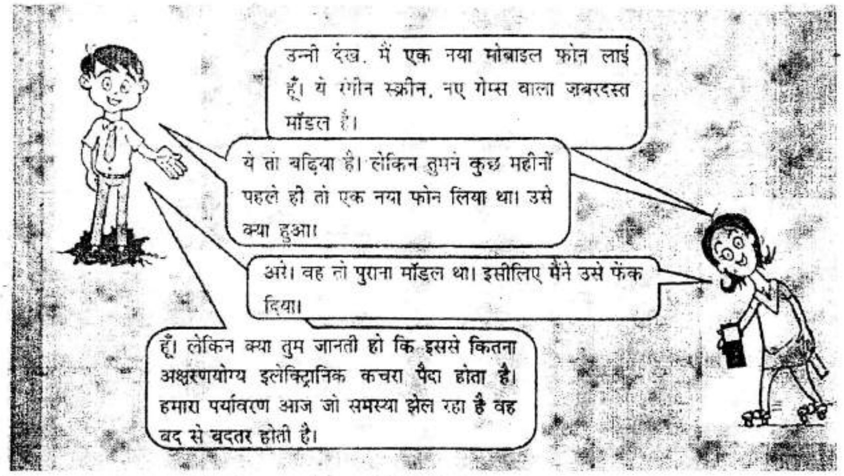

22. "India is a sovereign, secular, democratic republic." Explain. 6

"भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य है।" व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

"The Constitution of India is a bag of borrowings." Discuss.

"भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है।" व्याख्या कीजिए।

23. Distinguish between political executive and permanent executive. 6

राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर लिखिए।

OR / अथवा

Discuss the functions and powers of the Prime Minister.

प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

24. Discuss the amending procedure of Indian Constitution. 6

भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

"Indian Constitution is a blend of regidity and flexibility." Explain and discuss.

"भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है।" व्याख्या कीजिए।

25. Discuss the scope of Political Science. 6

राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the importance of political theory.

राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए।

26. Distinguish between a citizen and an alien. 6

नागरिक और विदेशी में क्या अन्तर है?

OR / अथवा

How can citizenship be lost. Write in detail.

नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है? विस्तारपूर्वक बताइए।

27. Is India a secular state ? Give arguments in support of your answer. 6

क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

OR / अथवा

Discuss the factors that establish the independence of judiciary.

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।

No. of Printed Pages : 4

Marking Scheme

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI **[M. M. : 100**

1. हम आदेश देते हैं। 1
2. अमरीका के संविधान से। 1
3. युद्ध की अनुपस्थिति। 1
4. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ½ + ½
5. United Nations Development Programme. 1
   संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
6. संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों या मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों को देने होते हैं। 2
7. प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी, मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण। (किन्हीं दो का विस्तार) 1 + 1
8. (i) भारतीय संविधान लिखित व कठोर है। 1 + 1
   (ii) केन्द्र व राज्य की शक्तियों का बटंवारा संविधान द्वारा किया गया है।
   (iii) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। (अथवा अन्य कोई भी विशेषता)
9. समय, परिस्थितियों व आवश्यकताओं के साथ परिवर्तनशील है, गतिशील है, या अन्य कोई तर्क। 2
10. (i) मौलिक अधिकार देश के संविधान में होते हैं प्राकृतिक अधिकार नहीं। 1 + 1
    (ii) मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि प्राकृतिक अधिकार नहीं।
    (iii) प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में संभव हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य में उपलब्ध होते हैं। (कोई दो)
11. मतदाता सूचियों को तैयार करना 4 × 1
    चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना
    चुनाव का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण
    चुनाव करवाना
    उप-चुनाव करवाना
    चुनाव चिन्ह प्रदान करना (अथवा अन्य कोई 4)

12. शक्तियों के बँटवारे में अधिक शक्तियाँ दी जाए जैसे पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने अधिक वित्तीय अधिकार। 4 × 1
प्रशासकीय विषयों पर केन्द्र का कम नियंत्रण।
हिन्दी भाषा को गैर हिन्दी भाषीय राज्यों में लागू न किया जाए।
अन्य भाषाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए।
राज्यपालों को राज्यों की सलाह से नियुक्त किया जाए। (कोई चार)

13. स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 4 × 1
तीन स्तरीय पंजायतीराज व्यवस्था
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा
पंचायतों की रचना
सदस्यों का चुनाव
पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में
सीटों का आरक्षण (या अन्य कोई चार, संक्षिप्त विवरण)

14. प्लेटो के अनुसार जिसका जिसको प्राप्त है वह देना ही न्याय है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण है। और न्याय का अर्थ भी व्यक्ति को प्राप्य है वही देय है। वर्तमान में व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिमा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हों। सभी के साथ समानता का व्यवहार व अवसरों की समानता हो। (विस्तृत विवरण) 4

15. राज्य के चार अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र के अनेक तत्व हैं। 4 × 1
राष्ट्र के लिए एकता की भावना अनिवार्य, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य, राष्ट्र के लिए नहीं। (या अन्य कोई 4)

16. विश्व शांति व सुरक्षा के लिए। 4 × 1
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए।
युद्धों की भीषणता कम करने के लिए।
विश्व के आर्थिक विकास के लिए।
सैन्यीकरण व युद्धों को रोकने के लिए।
मानवजाति के कल्याण के लिए। (या अन्य कोई 4 संक्षिप्त विवरण सहित)

17. (i) 6 1
(ii) संविधानिक उपचारों का अधिकार। 1
(iii) व्यक्ति, निजी संगठनों तथा सरकार के विभिन्न अंगों से। 3

18. (i) अनैतिक व निरंकुश प्रतिबन्धों सहित स्वतन्त्रता। 2
(ii) सभी प्रतिबन्धों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। 2
(iii) निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतन्त्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। (i, ii - संक्षिप्त विवरण सहित)

19. (i) बिना किसी धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के भेद के भेदभाव का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता की स्थापना।

(ii) कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई की कानून से ऊपर या विशेष नहीं है। राज्य भी सभी के लिए एकसा कानून बनाएगा बिना किसी भेदभाव, सभी पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, व्यक्ति चाहे कोई भी हो।

(iii) अनुच्छेद 17 (समानता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत)

20. (i) विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्रिगण। 1

(ii) मन्त्रालयों के लिए धन आबंटित कराने के लिए, संसद से स्वीकृति के पश्चात ही धन आबंटित हो सकता तथा ये कार्य विनम्रता से ही संभव हैं। 2

(iii) संसद की कराधान तथा धन के प्रयोग पर नियन्त्रण की शक्ति। 2

21. (i) विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। 2

(ii) औद्योगिक विकास, गरीबी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि (या अन्य कोई) 1

(iii) भूमण्डल का ताप बढ़ना, कृषि योग्य भूमि कम होना, जल प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन। (या अन्य कोई) 2

22. प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा गणराज्य शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या। 6

अथवा

संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों के संविधान के गुणों को संचित किया इसी कारण आलोचकों द्वारा संविधान के बारे में ऐसा कहा गया है पर वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर अनेक तत्त्वों का योगदान रहा है।

ब्रिटिश संविधान—शक्तिशाली लोकसभा, राष्ट्रपति मुखिया संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत ढाचा।

अमरीकी संविधान—मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण, संघात्मक ढांचा।

आयरलैंड, कनैडियन, जर्मन, आस्ट्रेलिया के संविधानों का प्रभाव बताते हुए छात्र भारतीय संविधान की मूल-भूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्षत: उसे भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत करेंगे।

23. नियुक्ति सम्बन्धी, योग्यता, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, राजनीतिक सम्बंधों, भूमिकाओं तथा परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्धित। 6
(संक्षिप्त व्याख्या सहित)

अथवा

मन्त्रिमण्डल के नेता के रूप में—मन्त्रिपरिषद का निर्माण। विभागों का विभाजन मन्त्रिमण्डल का सभापति, मन्त्रियों का हटाना। समन्वयकारी रूप, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण कड़ी, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, संसद का नेता, नियुक्तियाँ, विदेशी नीतियों का निर्माता, संकटकालीन शक्तियाँ। (संक्षिप्त वर्णन सहित)

24. अनुच्छेद 308 में संशोधन की दो विधियों का वर्णन है। परन्तु ये तीन विधियों से होता है। 6

(i) संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति, सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना।

(ii) संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन है दोनों सदनों में कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संभव।

(iii) संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान पालिकाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन—इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, और चुनाव विधि, केन्द्र व राज्यो के वैधानिक सम्बन्ध, संघीय सरकार व राज्य सरकारों की कार्य-पालिका सम्बन्धी शक्तियों की सीमा इत्यादि। (विस्तारपूर्वक वर्णन)

अथवा

इसके कुछ भागों में सरलता, कुछ में कठिन व कुछ भागों में कठिनतम तरीके से ही बदलाव संभव है। इसी लिये ऐसा कहा गया है। छात्र इस में संशोधन विधियों की व्याख्या तथा संशोधन के विषय क्षेत्र सहित विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

25. राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शासन प्रबन्ध का अध्ययन, समुदायों तथा संस्थानों का राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व संगठनों तथा सम्बन्धों, नेतृत्व का, राजनीतिक दलों, सत्ता व शक्ति का अध्ययन। (संक्षिप्त किन्हीं छः का वर्णन)

अथवा

राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक, ज्ञान का सरलीकरण करना, व्यावहारिक दक्षताओं का विकास, समस्याएं सुलझाने में सहायक, शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करना, बुद्धि का विस्तार, राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा, सामाजिक परिवर्तन को समझने व व्याख्या के लिए सहायक। (किन्ही छः का संक्षिप्त परिचय) 1 × 6

26. (1) नागरिक राज्य का होता है विदेशी राज्य का सदस्य नहीं 6 × 1

(2) राज्य भक्ति के आधार पर

(3) अधिकारों के आधार पर

(4) सैनिक सेवा के आधार पर

(5) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर

(6) प्रकारों के आधार पर (संक्षिप्त अर्थ व विस्तार)

अथवा

लम्बे समय तक अनुपस्थिति, विवाह, विदेश में सरकारी नौकरी, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग, पराजय द्वारा, सेना से भाग जाने पर, देशद्रोह, गोद लेना, विदेश सरकार से सम्मान प्राप्त करना, विदेश में संपत्ति खरीदना। (कोई छः अर्थसहित)

27. स्वतन्त्रता के पश्चात भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। इसकी विशेषताएँ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य की दृष्टि में सब धर्म समान, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार, सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही, छुआछूत की समाप्ति इत्यादि इसे सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। (उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या) 6

अथवा

(1) न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा 6

(2) नौकरी की सुरक्षा

(3) लम्बा कार्यकाल

(4) अच्छा वेतन तथा पेंशन

(5) सेवा की शर्तों में हानिकारक परिवर्तन न होना

(6) न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएँ

(7) रिटायर होने के पश्चात् वकालत की मनाही

(8) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। (कोई छः)

सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च – 2016
मूल्यांकन योजना–राजनीति विज्ञान
अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिन्दु
59/1/1

प्र0 1.	**बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ?** **a. यह पूँजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी।** **b. इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात् किया गया।** **c. लोगों द्वारा इसे 9 नवम्बर, 1989 को तोड़ दिया गया।** **d. यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।**	
उ0	यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।	1
प्र0 2.	**आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना क्यों की गई ?**	
उ0	**आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना के कारण :** **(i)** आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए। **(ii)** सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। **(iii)** क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए।	1
प्र0 3.	**दोनों में से अधिक अनिवार्य कौन सा है और क्यों – बड़े बाँधों का निर्माण अथवा इसका विरोध करने वाले पर्यावरण संबंधी आंदोलन ?**	
उ0	परीक्षार्थी दिए हुए विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में लिख सकता है – परन्तु उसके उत्तर के साथ तर्क होना चाहिए। जैसे – • विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है अथवा • बांधों का निर्माण लोगों के विस्थापन और पर्यावरण का निम्नीकरण करता है। अतः इसके विरूद्ध आंदोलन आवश्यक है।	1
प्र0 4.	**गुट–निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन दो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे ?**	
उ0	**(i)** कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा । **(ii)** क्षेत्रीय अखण्डता और एकता को बनाए रखना। **(iii)** तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। (कोई दो)	2x½=1
प्र0 5.	**चिपको आंदोलन के सर्वाधिक अनूठे पहलू को उजागर कीजिए।**	1
उ0	महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	
प्र0 6.	**शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।**	
उ0	**(i)** दो महाशक्तियों के नेतृत्व में दो सैन्य गुटों का होना। **(ii)** महाशक्तियां युद्ध लड़ने के खतरों अर्थात महाविनाश से परिचित थीं । अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2x1=2

प्र0 7.	**"स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?**	
उ0	परीक्षार्थी को उत्तर के पक्ष में तर्क / तथ्य / उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के लिए : स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने राजनीति को चुना और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सत्ता में आने का प्रयास किया। अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2
प्र0 8.	**निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए :** **'A'** — **'B'** **(a)राजनीति से प्रेरित विवादास्पद नियुक्ति** — **(i) चारू मजूमदार** **(b)1947 में रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व किया** — **(ii) जय प्रकाश नारायण** **(c)नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होन से इंकार** — **(iii) जार्ज फर्नांडिस** **(d)पुलिस हिरासत में मौत** — **(iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे.**	
उ0	(a) (iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे. (b) (iii) जार्ज फर्नांडिस (c) (ii) जय प्रकाश नारायण (d) (i) चारू मजूमदार	4x½=2
प्र0 9.	**हालांकि 1950 के दशक में, देश के शेष हिस्सों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ?**	
उ0	'पंजाबी सूबा' आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था और इस आंदोलन को गैर सिक्खों और सिक्खों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलनों जैसा मजबूत नहीं था।	2
प्र0 10.	**पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया ?**	
उ0	उत्तर–पूर्व राज्यों का पुनर्गठन लगभग 1972 में पूरा हो गया था, जैसे 1972 में आसाम में से एक क्षेत्र ले कर मेघालय बनाया गया। मणिपुर और त्रिपूरा भी इसी वर्ष अलग राज्य के रूप में उभरे। परन्तु अरूणाचल प्रदेश 1987 में बना जबकि नागालैण्ड 1963 में ही बन गया था।	2
प्र0 11.	**चीन की नई आर्थिक नीति ने किन चार तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया ?**	
उ0	**(i)** जड़ता को समाप्त करके **(ii)** कृषि के निजीकरण से **(iii)**व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा **(iv)**ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ने की तीव्र वृद्धि दर से	4x1=4

प्र0 12.	एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ? इसके मुख्य कार्य लिखिए।	
उ0	• **एमनेस्टी इंटरनेशनल** एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। • कार्य : **(i)** यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिर्पोट तैयार और प्रकाशित करता है। **(ii)** यह सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है। **(iii)**यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। **(iv)** अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु।	1+3=4
प्र0 13.	**वैश्विक संपदा से क्या अभिप्राय है ? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है ?**	
उ0	• विश्व की सांझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह ओर बाहरी अंतरिक्ष। • ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि : **(i)** एक सर्व–सम्मत र्प्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। **(ii)** बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबन्धन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। **(iii)**बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे दोहन कार्यों का लाभ न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। (कोई दो कारण)	2+2=4
प्र0 14.	**भारत की कॅांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एकदलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है ? स्पष्ट कीजिए।**	
उ0	**यह निम्नलिखित कारणों से भिन्न है :** **(i)** भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम नहीं हुआ है। **(ii)** भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी जबकि चीन और रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। **(iii)**भारत में म्यांमार और बेलारूस की तरह एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य दखलान्दजी के कारण नहीं था। **(iv)**भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उसकी अपनी लोकप्रियता के कारण था।	4
प्र0 15.	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**	
उ0	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणाम :** **(i)** कृषि, व्यापार और उद्योगों का अधिकांश भाग निजी हाथों में छोड़ दिया गया। **(ii)** राज्य द्वारा नियंत्रित मुख्य भारी उद्योगों ने औद्योगिक ढांचे, नियमित व्यापार और कृषि में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया।	

	इससे निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई और इसने भावी विकास को आधार किया।	4
प्र0 16.	**1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	**जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों को निम्नलिखित ढंग से जनमत संग्रह में बदला :** **(i)** सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध आपस में हाथ मिलाकर जनता के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा। **(ii)** जनता पार्टी ने लोकतंत्र की वकालत की तथा आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। **(iii)** जयप्रकाश नारायण विपक्ष का चेहरा बन गया और जे. पी. एंव इन्दिरा के बीच एक को चुनने का विकल्प बन गया। **(iv)** जनता पार्टी ने लोगों को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच किसी एक को चुनने का आह्वान किया।	4
प्र0 17.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:–** हर देश को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि इस दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। 'शॉक थेरेपी' की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। 'सामूहिक फार्म' को 'निजी फार्म' में बदला गया और पूँजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या 'तीसरे रूख' को मंजूर नहीं किया गया। **i. ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिन्हें अपनी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन लाना था।** **ii. सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में क्यों बदला जाना था ?** **iii. क्योंकि किसी तीसरे रास्ते की कोई सम्भावना नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पहले दो रास्ते कौन से थे ?**	
उ0	**(i)** आर्मीनिया, जार्जिया, उज़्बेकिस्तान अथवा सोवियत संघ के विघटन के बाद बना कोई अन्य देश। (कोई दो देश) **(ii)** राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था की समाप्ति एंव निजीकरण और उदारीकरण के लागू होने के कारण। **(iii)** a) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था (समाजवाद) b) पूंजीवाद	1+2+2=5
प्र0 18.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:** सबसे सीधा–सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछेक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक–कल्याणकारी	

	कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक–कल्याण होता था। लोक–कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाज़ार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। **i. 'राज्य की क्षमता में कमी आना' एक उदाहरण द्वारा इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।** **ii. 'कल्याणकारी राज्य' की धारणा का स्थान 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' क्यों ले रहा है ?** **iii. बाज़ार किस प्रकार सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है ?**	
उ0	**(i)** वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानि सरकारों को जो काम करना है, उसे करने की ताकत में कमी आती है। आजकल विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। **(ii)** निजीकरण के कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में आ गई हैं। राज्यों की भूमिका आर्थिक विकास में सहायता करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। **(iii)** बहुराष्ट्रीय कंपनियां आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में आ गई हैं। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजारों की तलाश है। अतः अब बाजार सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारक बन गए हैं।	2+2+1=5
प्र0 19.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:** भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब–इज़रायल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। **i. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और क्यों ?** **ii. भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, उस काल को भारत की घरेलू राजनीति का, सबसे कठिन काल क्यों समझा जाता है ?** **iii. 1970 के दशक के प्रारंभ में घटित किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में मँहगाई बहुत बढ़ गयी थी ?**	
उ0	**(i) मई 1974 में –** आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, प्रयोग करने के लिए। **(ii)** अरब – इज़रायल युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही थीं। अतः भारत आर्थिक मोर्चे पर संकटों का मुकाबला कर रहा था। **(iii)** 1973 का अरब – इज़रायल युद्ध।	2+2+1=5
प्र0 20.	**नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**	

	i. दिए गए कार्टून से किन्हीं चार राष्ट्रीय नेताओं की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक की क्रम संख्या भी लिखिए। ii. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेता न. 2 के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था ? iii. 1989 के लोकसभा निर्वाचन में, क्रम संख्या एक के नेतृत्व वाले दल की स्थिति क्या थी ?	
उ0	i. 1 राजीव गांधी 2 वी. पी. सिंह 3 लाल कृष्ण आडवानी 4 देवी लाल 5 ज्योति बसु 6 चन्द्र शेखर 7 एन. टी. रामा राव 8 पी. के. मोहन्तो 9 के. करूणानिधि (कोई चार) ii. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। iii. 1989 में पार्टी बुरी तरह प्रभावित हुई तथा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। (415, सांसदों से घट कर 189 पर पहुँच गइ थी) **नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 20 के स्थान पर हैं।** **20.1 1984 के लोकसभा निर्वाचन में किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं और किसके नेतृत्व में ?** **20.2 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कौन सा सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय लिया ?** **20.3 किस प्रधानमंत्री ने नए आर्थिक सुधारों की शुरूआत की तथा इसका क्या परिणाम निकला ?**	2+1+2=5
उ0	20.1 (i) कांग्रेस पार्टी (ii) राजीव गांधी के नेतृत्व में 20.2 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। 20.3 नए आर्थिक सुधार राजीव गांधी द्वारा लागू किए गए। इसने आर्थिक नीति की दिशा को यकायक बदल दिया।	2+1+2=5
प्र0 21.	**दिए गए दक्षिण एशिया के रेखा–मानचित्र में, पाँच देशों को A, B , C , D तथा E द्वारा चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और उत्तरपुस्तिका में उनके सही कम संख्या तथा संबंधित अक्षर, नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए।** प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या | संबंधित अक्षर | देश का नाम (i) से (v) तक | | **i. एक महत्त्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण ऐशिया का भाग नहीं समझा जाता।** **ii. इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है।**	

iii. इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे हैं।
iv. वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है।
v. एक द्वीपीय राष्ट्र जो 1968 तक एक सल्तनत था।

उ0

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i)	B	चीन
(ii)	D	श्रीलंका
(iii)	E	बांग्लादेश
(iv)	A	नेपाल
(v)	C	मालदीव

5x1=5

नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर है।

21.1 दक्षिण एशिया में प्रायः कौन–कौन से देश शामिल किए जाते हैं ?

21.2 दक्षिण एशिया के कौन से दो देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है।

21.3 दक्षेस (SAARC) तथा साफ्टा (SAFTA) के विस्तृत रूप लिखिए।

उ0 **21.1** बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान

नोटः यदि परीक्षार्थी अफगानिस्तान नहीं लिखता है तब भी उसे अंक दिए जाएं।

21.2 श्रीलंका और भारत

21.3 **दक्षेस (SAARC)** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारी संगठन

साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार–क्षेत्र समझौता

2+1+2=5

प्र0 22. **सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं तीन सकारात्मक तथा तीन नकारात्मक विषेषताओं को उजागर कीजिए।**

उ0 **सकारात्मक विशेषताएं :**

(i) सोवियत व्यवस्था अमेरीका को छोड़कर शेष पूरे विश्व से कहीं अधिक विकसित थी।
(ii) सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था।
(iii) सरकार द्वारा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाना।
(iv) बेरोजगारी का न होना।
अन्य कोई सकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं)

नकारात्मक विशेषताएं :

(i) व्यवस्था सत्तावादी थी और नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था।
(ii) लोकतंत्र की कमी और अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का न होना।
(iii) केवल एक दलीय व्यवस्था का होना।
(iv) पार्टी द्वारा लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना।
अन्य कोई नकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं) 3+3=6

	अथवा **यह कहना कहाँ तक उचित है कि शीत युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि के गणित से होता था ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	यह कथन महाशक्तियों तथा उनके गठबंधन के बारे में बिल्कुल ठीक है। **(i)** महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके देशों को अपने पक्ष में किया। **(ii)** सोवियत संघ ने अपने गुट (गठबंधन) के देशों की बड़ी सेनाओं के बल पर पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। **(iii)** दूसरी ओर अमरीका ने सीटो और सेन्टो जैसे गठबंधन बनाए तथा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ सोवियत संघ और चीन ने अपने संबंध मजबूत किए। **(iv)** महत्त्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाए गए। **(v)** महाशक्तियों को अपने हथियारों के संचालन के लिए भू–क्षेत्रों की आवश्यकता थी। **(vi)** आर्थिक मदद एक अन्य मुद्दा था। उत्तर के पक्ष में अन्य कोई बिन्दु	6x1=6
प्र0 23.	**संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिए। इसके बारे में, भारत के अंदर तीन विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**(i)** भारत को अमरीका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और उसे अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। **(ii)** भारत को अमरीकी वर्चस्व और आपसी समझ का यथा संभव अपने हित में लाभ उठाना चाहिए। अमरीका का विरोध करना व्यर्थ होगा और अंततः भारत को क्षति पहुंचेगी। **(iii)** भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बनाने में नेतृत्व देना चाहिए। अन्य कोई दृष्टिकोण (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **ऐसे किन्हीं तीन प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल कर, एक राजनैतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी हैं।**	
उ0	**(i)** 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। **(ii)** 1957 में यूरोपीय इकनामिक कम्युनिटी के गठन से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई जिससे यूरोपीय पार्लियामेण्ट का गठन हुआ। **(iii)** सोवियत संगठन के विघटन ने यूरोप में इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान की और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई। **(iv)** इसने अपना झंडा, स्थापना दिवस, गान और अलग मुद्रा को अपनाया। **(v)** विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका अपना राजनीतिक प्रभाव भी है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
प्र0 24.	**ऐसे किन्हीं तीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर कार्य करें।**	

उ0	अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मुद्दे : (i) आतंकवाद (ii) ग्लोबल वार्मिंग / पर्यावरणीय निम्नीकरण (iii) पीने के पानी की कमी (iv) वैश्विक गरीबी (v) संक्रामक रोग अन्य कोई सही मुद्दा (कोई तीन का वर्णन)	3x2=6
	अथवा **बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है ? इस प्राकर की सुरक्षा के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	• बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा : किसी देश को सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा माना जाता है। • बाह्य सुरक्षा के तत्व : (i) बाहरी आक्रमण के विरूद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना। (ii) युद्ध को टालना। (iii) शक्ति संतुलन / गठबंधन बनाना (कोई दो व्याख्या सहित)	2+4=6
प्र0 25.	**"क्षेत्रीय माँगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना, एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया।" इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कोई तीन उपयुक्त तर्क दीजिए।**	
उ0	कथन के समर्थन में तर्क : (i) 60 वर्षों में भाषायी आधार पर बनने वाले राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को सकारात्मक और रचनात्मक बना दिया है। (ii) भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भाषा सभी के लिए एक समान आधार बन गई है। (iii) इससे देश का विघटन के बजाय एकीकरण हुआ है। (iv) लोगों की क्षेत्रीय अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, लोगों को ताकत मिली है और लोकतंत्र सफल हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्थान दिया जा रहा है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्रों का परिक्षण कीजिए।**	
उ0	सहमति के क्षेत्र : (i) भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि एंव सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए।	

	(ii) विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। (iii) गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी माना गया। असहमति के क्षेत्र : (i) सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति। (ii) यदि आर्थिक वृद्धि से भिन्नता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्त्व पर असहमति। (iii) उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे पर असहमति।	3+3=6
प्र0 26.	**लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात्, इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं चार उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।**	
उ0	• **इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियां :** (i) इंदिरा गांधी लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। (ii) वह 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी। (iii) वह 1964–66 में शास्त्री जी के मंत्रीमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थीं। (कोई दो बिंदु) • **इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली उपलब्धियां :** (i) उसने 'गरीबी हटाओ' का लोकप्रिय नारा दिया था। (ii) उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया। (iii) उसने ग्रामीण भूमि की तथा शहरी सम्पति की हदबन्दी की जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके। (iv) उसने रज़वाड़ों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कीं। (v) 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक जीत। (vi) 1974 में पहला आणविक विस्फोट। (कोई चार बिंदु)	2+4=6
	अथवा **25 जून, 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**आपातकाल लागू करने की परिस्थितियाँ :** (i) न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संघर्ष। (ii) वृद्धि दर में कमी और कीमतों का बढ़ना। (iii) बिहार और गुजरात में मंहगाई और भ्रष्टाचार के विरूद्ध छात्र आंदोलन। (iv) जॉर्ज फर्नाडीज़ के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल। (v) रामलीला मैदान की विशाल रैली जहां जयप्रकाश नारायण ने कर्मचारियों से सरकार के अवैध आदेश न मानने का आग्रह किया। (vi) इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का निर्णय।	6

प्र0 27.	**भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जाने वाले किसान आंदोलन को, सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बनाने वाले किन्हीं छः कारकों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	**i.** भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चला यह आंदोलन बहुत ही अनुशासित था। **ii.** भारतीय किसान यूनियन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए 'जाति पंचायत' की परम्परागत संस्था का उपयोग किया। **iii.** धनराशि एंव संसाधन जुटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसी जातिगत–वंशगत सम्पर्क जाल का प्रयोग किया। **iv.** भारतीय किसान यूनियन की मांगे किसानों की चिर प्रतीक्षित मांगे थीं और उनके हित में थीं। इसलिए किसानों द्वारा तुरन्त स्वीकार कर ली गईं। **v.** भारतीय किसान यूनियन ने स्वंय को अराजनीतिक रखा और एक दबाव समूह के रूप.में काम किया। **vi.** भारतीय किसान यूनियन ने दबाव की नीति प्रयोग की और किसानों की शक्ति का प्रदर्शन किया। अन्य कोई उपयुक्त बिंदु	6x1=6
	अथवा	
	क्षेत्रीय आकांक्षाएँ तथा उनकी पूर्ति लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। इस विचार से मिलने वाली किन्हीं तीन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।	
उ0	**i.** क्षेत्रीय आकाक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं और क्षेत्रीय आकाक्षाओं को अभिव्यक्त करना सामान्य है। **ii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं और संवाद सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। **iii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संवैधानिक ढांचे में ही हल किया जा सकता है। **iv.** क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक विकास से भेदभाव की भावना में कमी आती है। अतः क्षेत्रों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के प्रयास होने चाहिए। **v.** संवैधानिक प्रावधानों में ही क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के प्रावधान पहले से ही निहित हैं। संविधान की छटी अनुसूची विभिन्न कबीलों (जन जातियों) को अपनी प्रथाओं और पारम्परिक कानूनों को संरक्षित रखने की अनुमति देती है। **vi.** संघवाद का सही अर्थों में सम्मान होना चाहिए। अन्य कोई उपयुक्त शिक्षा (कोई तीन बिंदु)	3x2=6

आमुख-1

21 वीं सदी में सरकार का मुख्य ध्यान आम आदमी को सशक्त करते हुए जीवन के बुनियादी कोशलों को विकसित करना है ताकि भारत के लोकतंत्र को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र भविष्य के आने वाले नागरिक है अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करें बल्कि वे जिम्मेदार व उत्पादित नागरिक बन सके।

प्रस्तुत सहायक पाठ्य सामग्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु और तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का विस्तार करना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद तथा मण्डलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिकाएँ इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास है। इन शिक्षक संदर्शिका का उद्देश्य शिक्षण अधिगम को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना है जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 में रेखांकित है।

मैं इन विषय विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। साथ ही मैं संदर्शिका लेखन में सम्मिलित संयोजकों, लेखक समूह व संपादन मंडल के साथ-साथ सभी राज्य शैक्षिक व अनुसंधान परिषद तथा मंडलीय शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदाधिकारियों व प्रकाशन विभाग के अमूल्य योगदान की सराहना करती हूँ।

यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत संदर्शिका अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी आपके सुझाव एवं विचार आंमत्रित है।

–अनिता सेतिया

निदेशक

आमुख-2

प्रस्तुत सहायक पाठ्यसामग्री को राजनीति-विज्ञान की अवधारणा के अनुसार संबंद्ध करने का प्रयास किय गया है। कक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं के विभिन्न संबधित अध्यायों को इस माड्यूल में मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कक्षाओं की राजनीति विज्ञान की सामग्री को 6 माड्यूल्स के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

1. प्रथम माड्यूल→ राष्ट्रवाद एवं विकास
2. द्वितीय माड्यूल→ संविधान का दर्शन एवं व्यवहार
3. तृतीय माड्यूल→ राजनीतिक सिद्धाँत व अवधारणाएँ
4. चतुर्थ माड्यूल→ समकालीन विश्व संगठन एवं भारत
5. पंचम माड्यूल→ भारतीय शासन एवं राजनीति
6. षष्टम् माड्यूल→ शीतयुद्धोत्तर विश्व राजनीति

उपरोक्त माड्यूल्स के अतंर्गत अवधारणाओं को इस रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिससे एक समझ बने न कि अवधारणाएँ केवल ज्ञान, तथ्यों एवं सूचनाओं तक ही सीमित रह जाए। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में अभ्यास व क्रियाकलापों को रोचक बनाते हुए इस तरह संरचित किए गए है जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत संवर्धित मूल्यों की भी बात की गयी है जो कि संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित है।

माड्यूल निर्माण में जो समूह कार्य के लिए बनाया गया उन्हें लंबा शिक्षण अनुभव है।

माड्यूल निर्माण समिति के सदस्यों की शैक्षिक विशेषज्ञता और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य समय और इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ/करता हूँ।

-डॉ. नीलम

डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

डाइट केशव पुरम्

पाठ-1

संविधान-क्यों और कैसे?

परिचय

''संविधान'' अक्सर चर्चा में आने वाला ऐसा शब्द है, जिस का उपयोग हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। टेलीविज़न पर आने वाले समाचार, वाद-विवाद, परिचर्चा, जनता के दोबारा दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, चुनाव प्रचार आदि में हम इस शब्द को ज़रूर सुनते हैं। परन्तु यह केवल एक शब्द नहीं है बल्कि पूरी एक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। संविधान की परिभाषा, इसकी आवश्यकता, इसका निर्माण, निर्माण की परिस्थितियों, निर्माण-कार्य से जुड़े लोग तथा संस्थाएँ, और उनके समक्ष जनता की तात्कालिक आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माण की चुनौतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना सभी कुछ इसका भाग है। यदि संविधान को पढ़ना और पढ़ाना है तो फिर इन सभी पहलुओं का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है कि यह ज़रूर समझा जाए कि संविधान वास्तव में होता क्या है? इसकी सभी को क्यों आवश्यकता है? विश्व में संविधान का निर्माण किन-किन तरीकों से होता है? संविधान पर नागरिकों की आस्था क्यों आवश्यक है? क्या सभी नागरिकों की आकांक्षाओं पर संविधान का खरा उतरना आवश्यक है? सर्वमान्य संविधान में क्या विशेषताएँ होती हैं?

इस अध्याय में इन्हीं सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया है। विश्व के अनेक क्षेत्रों से उदाहरण भी इस अध्याय को समझने के लिए प्रस्तुत किये गए हैं। आवश्यक कार्टून भी दिए गए हैं।

अधिगम परिणाम

- इस अध्याय से छात्र संविधान की आवश्यकता को समझ पाएगें।
- छात्र संविधान के विभिन्न रूपों से अवगत हो सकेंगें और साथ ही साथ वे भारतीय संविधान के रूप को भी समझ पाएंगे।
- छात्र संविधान-सभा के गठन, उसके कार्य तथा उसके समक्ष चुनौतियों से भी अवगत हो पाएंगे।
- छात्र ये भी समझ पाएंगे कि क्यों सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के बँटवारे में संतुलन की आवश्यकता ज़रूरी है?
- छात्र इस अध्याय के माध्यम से विश्व के उन संविधानों की विशेषताओं से भी अवगत हो पाएंगे जिनकी छाप भारतीय संविधान पर देखने को मिलती है।

विषय वस्तु

हमे संविधान की क्या आवश्यकता है?

हमे संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए पड़ती है।

1. **''संविधान का पहला कार्य यह है की वह समाज को बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे''**

इस बात से सभी सहमत होंगें कि विभिन्न लोगों की किसी भी मुद्दे पर अलग-अलग राय होती है परन्तु यह भी सत्य है कि इन विभिन्नताओं के बावजूद भी समाज के सभी सदस्यों ने एक साथ रहना है। समाज के सभी सदस्य अनेकों रूपों में एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। सभी लोग केवल उसी स्थिति में शांतिपूर्वक रह सकते हैं जबकी जब वे कुछ आधारभूत नियमों के बारे में सहमत हो जाएँ और उसका पालन करें. इन नियमों की उन्हें न केवल जानकारी हो बल्कि वे उनका पालन भी करें। उनमें यह विश्वास भी होना चाहिए कि सभी इन नियमों का पालन कर रहे हैं और जो इन्हें तोड़ता है उन्हें अदालतों के द्वारा दंड दिया जायेगा। इन सभी बातों का उल्लेख संविधान में होता है। अत: **संविधान आपसी तालमेल बढ़ाता है।**

2. **''संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज के निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा?''**

संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का समूह जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। बुनियादी नियमों के प्रश्न पर मतभेद हो सकते हैं। इसलिए इन मतभेदों को सुलझाने के लिए नियमों को कौन बनाएगा? कानून का निर्माण कौन करेगा? इन बातों के उल्लेख के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में अब यह कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। संविधान इस नियम को भी तय करता है कि प्रतिनिधि किस प्रकार निर्वाचित होंगे?

भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि कानून का निर्माण तथा संवैधानिक संशोधन संसद करेगी। संसद का गठन किस प्रकार होगा? यह भी स्पष्ट है। सरकार के गठन की व्याख्या भी संविधान में स्पष्ट तौर पर मिलती है। इस तरह यह कहा जा सकता है **निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएँ भी संविधान का भाग होती हैं।**

3. **''संविधान का तीसरा कार्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करना है। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती।''**

संविधान के अनुसार बनाई गई सरकार भी अपनी सीमा में रहकर ही कार्य कर सकती है। अगर कोई सरकार इन नियमों का उल्लंघन करती है तो फिर उस पर भी नियंत्रण करने के लिए संविधान में प्रावधान होते हैं।

इसका सबसे आसान तरीका यह है कि नागरिकों के मौलिक आधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए ताकि कोई भी सरकार इनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में इन आधिकारों को सीमित करने वाली परिस्थितियों का उल्लेख भी कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी और परिस्थिति में कोई सरकार इन्हें सीमित अथवा समाप्त नहीं कर सकती। **इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार की शक्तियों पर भी संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित होती हैं।**

4. **''संविधान का चौथा कार्य सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।''**

हर समाज अपने आप को इतना मज़बूत बनाना चाहता है कि वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके तो उस देश के संविधान के द्वारा सरकारों को इतनी शक्तियाँ देनी होंगी ताकि वो उस लक्ष्य को पूरा कर सके। सभी

के अधिकार सुरक्षित रह सकें और सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम सरकारें उठा सकें। **इसका अर्थ यह हुआ की संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति का एकमात्र साधन है।**

5. **''संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान स्थापित करने का साधन होता है। ''**

   संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान स्थापित होती है। इसके लिए कुछ नियमों पर सहमत होना पड़ता है। क्योंकि संविधान से पहले हमारी विभिन्न प्रकार की पहचान होती है। परन्तु संविधान के नियमों और सिद्धांतों से सहमत होकर हम अपनी आधारभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। विश्व के अनेक देशों से विपरीत भारत का संविधान भारत के नागरिकों की नागरिकता के आधार के रूप में जाति या नस्ल को मान्यता प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार केंद्र और राज्य के बीच का सम्बन्ध भी हमारी राष्ट्रीय पहचान बन गई हैं। **यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान संविधान के द्वारा ही स्थापित होती है।**

संविधान की सत्ता

अधिकतर देशों में संविधान लिखित रूप में होते हैं परन्तु इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित है क्योंकि यह परम्पराओं तथा समय-समय पर संसद द्वारा पारित अधिनियमों पर आधारित है। लिखित संविधान के संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि लिखित संविधान क्या केवल शब्द हैं या फिर वह व्यवहार में भी हैं? संविधान में यह भी देखा जाता है कि संविधान कितना प्रभावी है? संविधान का प्रभावी होना अनेक बातों पर निर्भर करता है।

संविधान को प्रचलन में लेने का तरीका

संविधान को प्रचलन में लेने से अभिप्राय है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया? इसे बनाने वाले कौन थे? जिन्होंने इसे बनाया उनके पास कितनी शक्ति थी? क्या इसे लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों ने बनाया या फिर सैनिक शासकों ने? विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिणी अफ्रीका, तथा अमेरिका के हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद बनाया गया था। यद्यपि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा दिसम्बर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। परन्तु यह कहा जा सकता है कि **''संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक सीमा तक संविधान की सफलता को सुनिश्चित करता है।''**

संविधान के मौलिक प्रावधान

एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई न कोई कारण अवश्य देता है। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को संविधान द्वारा दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। इसके द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह संविधान उसे आधारभूत न्याय को प्राप्त करने के लिए ढ़ांचा उपलब्ध करता है।

संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा

सही ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया जाता है कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर दे। अतः शक्तियों का बटंवारा सरकार के अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका तथा

स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि के बीच कर दिया जाए। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है की कोई भी संस्था यदि संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्थाएँ उसे नियंत्रित कर लेगी। अवरोध तथा संतुलन संविधान की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। यह विशेषता भारतीय संविधान में भी है।

इसके अतिरिक्त संविधान में बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ-साथ कार्य प्रणाली में लचीलेपन का संतुलन भी होना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार सामंजस्य स्थापित हो सके।

भारतीय संविधान कैसे बना?

भारतीय संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा की पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ था। इसमें 292 सदस्य प्रान्तों ने चुने थे जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में थे। प्रान्तों में चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हुआ था।

संविधान सभा का स्वरूप

03 जून 1947 की योजना के अनुसार वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को पारित किया गया।

संविधान लेखन का कार्य विभाजन की हिंसा और नफ़रत के बीच जारी था परन्तु सभी संविधान निर्माताओं ने धैर्य के साथ सबके हितों का ख्याल रखते हुए संविधान का निर्माण किया। इस सभा में सभी का प्रतिनिधित्व दिया गया। सभी बड़े धर्मों के प्रतिनिधि इसमें थे। वहीं 26 अनूसूचित वर्गों के सदस्य भी थे। और लगभग सभी उस समय के भारतीय राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व इसमें था।

संविधान सभा के काम काज की शैली

संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श किया। सदस्यों के बीच प्रायः मतभेद हो जाते थे लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बना कर शायद ही कभी कोई मतभेद हुआ हो। संविधान के प्रावधानों पर वाद-विवाद और गहन विचार-विमर्श के बाद और आवश्यकता पड़ने पर मत विभाजन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। केवल सार्वभौमिक मताधिकार बिना किसी वाद-विवाद के पास किया गया था। इन बहसों और वाद-विवाद के पीछे सैद्धांतिक कारण होते थे।

कार्यविधि

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए विभिन्न मुद्दों के लिए आठ कमेठियाँ बनाई थीं। हर कमेटी ने कुछ-कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिस पर चर्चा संविधान सभा में होती थी। वाद-विवाद और विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से ये प्रावधान पारित हो जाते थे। संविधान निर्माण में दो वर्ष ग्यारह महीने और 18 दिन लगे। 166 संविधान सभा की बैठकें हुईं।

राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत

संविधान सभा में इतनी विविधता थी की सामान्य ढंग से संवैधानिक सिद्धांतों पर काम कर पाना मुश्किल होता यदि उन पर आम सहमति स्वतंत्रता आन्दोलन में न बनी होती। क्योंकि इन पर वाद-विवाद संविधान लागू होने से कई दशक पहले चल रहा था। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना क्या होनी चाहिए? हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए? किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए? आदि। संविधान सभा ने इसके निष्कर्ष को केवल अंतिम रूप दिया था।

इन सिद्धांतों का सारांश नेहरू द्वारा 1946 में 'उद्देश्य-प्रस्ताव' के रूप में संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इनमें संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। इसी उद्देश्य-प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, आदि का समावेश मिलता है।

संस्थागत व्यवस्थाएँ

संविधान सभा में मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका के मध्य शक्ति-संतुलन स्थपित करने के लिए बहुत विचार-विमर्श किया। इसी के साथ संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा शासन के अंगों के साथ साथ राज्यों के बीच भी हो गया।

हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों को भारत की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करके भारतीय संविधान में स्थान दिया। यह बात बताती है कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ कर विश्व की सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और संविधान की व्यापकता को अपनाया।

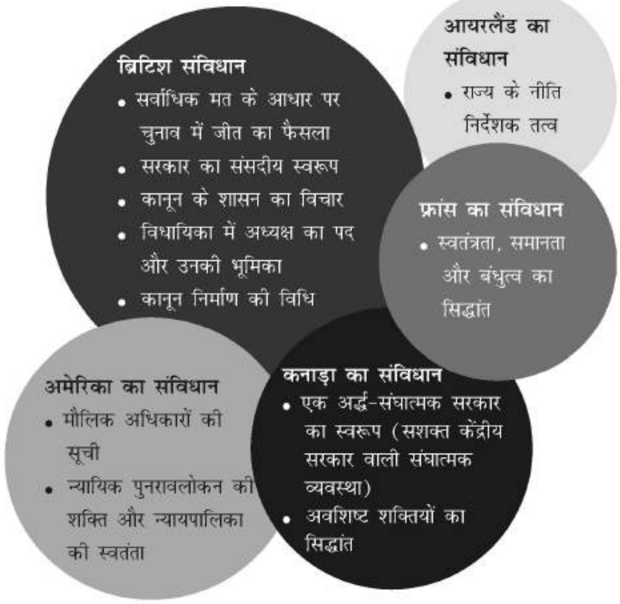

पाठगत अवधारणाएँ

1. **संविधानः** कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का संग्रह जिसके आधार पर राज्यों का निर्माण तथा शासन को चलाया जाता है।
2. **प्रस्तावनाः** संविधान के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण जो संविधान का कानूनी भाग नहीं है।
3. **संविधान सभाः** वह संस्था जिसका मूल कार्य संविधान को तैयार करना होता है।
4. **प्रारूप समितिः** भारतीय संविधान सभा की एक समिति जिसकी ज़िम्मेदारी संविधान का मसौदा तैयार करना था।
5. **जनमत संग्रहः** वह व्यवस्था जिसमें लोगों से किसी मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष में उनकी राय मालूम की जाती है।

क्रियाकलाप

- *संविधान सभा के सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों योगदान पर एक रिपोर्ट/प्रोजेक्ट तैयार करें।*
- *संविधान के उद्देश्य द्वारा प्रस्ताव पर कक्षा में चर्चा कीजिए।*

मूल्यांकन

1. भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या बातें ली गई हैं? 1अंक
2. भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 1अंक
3. शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा क्यों अनिवार्य है? 1अंक
4. भारत के संविधान सभा के गठन को स्पष्ट करें। 2अंक
5. किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 2अंक
6. निम्न कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिये और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4अंक
   (i) नए इराकी संविधान को कार्टून बनाने वाले ने ताश के पत्तों का महल क्यों कहा?
   (ii) क्या यह वर्णन भारतीय संविधान पर भी लागू होगा?

7. भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से जो बातें ली गई हैं उनका उल्लेख कीजिए। 6अंक

संवर्धित मूल्य

1. एक दूसरे के विचारों का सम्मान।
2. जनकल्याण की भावना का विकास।
3. कानून के शासन पर विश्वास।
4. संविधान की आवश्यकता का बोध।
5. राष्ट्रीयता की भावना का विकास।

पाठ–2

संविधान का राजनीतिक दर्शन

परिचय

दर्शन का अर्थ है "सिद्धांत, विचारधारा और सोच" भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन को इस दृष्टि से देखा जाए तो यह संविधान निर्माताओं की सोच थी। जिसको उन्होंने संविधान में साकार रूप दिया। अत: संविधान का राजनीतिक दर्शन सोच, देश के लोगों को राजनीतिक भविष्य उजागर करता है। जो मूल्यों पर आधारित है। जो संविधान के माध्यम से साकार किये जाते थे। यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें तो स्पष्ट होगा कि नैतिक मूल्य व आदर्श ही हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है।

अधिगम परिणाम

1. विद्यार्थी संविधान के प्रति आस्था व विश्वास बना सकेगे।
2. संविधान की विशेषता को समझ सकेगें।
3. संविधान के नैतिक मूल्य व आदर्शों के पीछे जनकल्याण की भावना का आदर कर सकेगें।
4. संविधान में दिए गए अधिकारों, मौलिक अधिकारों के महत्व को समझ सकेगें।
5. संविधान के राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत–समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, बन्धुत्व के भाव को समझ सकेगें।

विषय वस्तु

संविधान का राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, सिद्धांत और सोच का समुच्चय है। भारतीय राजनीतिक दर्शन को इस दृष्टि से देखा जाए तो यह संविधान निर्माताओं की सोच थी। जिसको उन्होंने साकार रूप दिया। अत: संविधान का राजनीतिक दर्शन से अभिप्राय है कि यह संविधान स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र, उदारवाद, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन–मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ–साथ, ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति, संवेदनात्मक तथा एक सर्व सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। जो राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के सामान्य दर्शन को शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक तरीके से अमल में लाया जाए।

संविधान का राजनीतिक दर्शन संविधान की प्रस्तावना में निहित है।

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक .... आज 26 नवम्बर, 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।"

इस प्रस्तावना में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण कराया गया। परन्तु व्यस्क मताधिकार से नहीं कराया था जिस कारण इस सभा के प्रतिनिधियों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। फिर भी व्यवहारतय: भारत की जनता ने दिखा दिया है कि सारी शक्ति उसमें निहित है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते है।

प्रभुत्तासम्पन्न : भारत की जनता में शक्ति निहित है। भारत आन्तरिक व बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नही है। भारत अपनी विदेश नीति बनाने में पूर्णतय: स्वतन्त्र है। वह किसी भी देश से मित्रता या संधि कर सकता है।

लोकतन्त्रात्मक : लोकतन्त्र में जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनती है। वह प्रतिनिधि देश का शासन चलाते है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। भारत में हर पाँच वर्ष बाद अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है।

पंथनिरपेक्ष : पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इससे तात्पर्य ऐसे राज्य से है। जो किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। वरन् सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, और उन्हें सामान संरक्षण भी प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए स्वतन्त्र है।

समाजवाद : समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्थिक न्याय में समाजवाद की अवधारणा अर्न्तनिहित है। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। समाजवादी व लोकतान्त्रिक दोनों का खुले आम प्रयोग होता है। स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियन्त्रण है। इस नियन्त्रण के आधार पर समाज के वास्तविक रूप का अवधारण किया जाता है। भारतीय संविधान ने इस दिशा में बीच का मार्ग अपनाया है। यह एक नया कदम है।

अखण्डता : अखण्डता शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में इस शब्द का समावेश पृथक्कतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया है। यह संविधान अवधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में ही निहित है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संघ के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है।

गणतन्त्र: भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए चुना जाता है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

संविधान का उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है।

(क) **न्याय:** सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक।

(ख) **स्वतन्त्रता:** विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की।

(ग) **समानता:** पद एवं अवसर की।

(घ) **बन्धुत्व:** व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता के लिए एक ओर जहाँ संविधान व्यक्ति को अधिकार को प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर उस का लक्ष्य देश की एकता को बनाये रखना है। इसलिए बन्धुत्व की भावना पर बल दिया है। प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है जब जन-जन के मन में बन्धुत्व की भावना जागृत कर सके।

स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया है। सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मुख्य लक्ष्य है। व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। जिसका उद्देश्य बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय है।

असमानता को दूर करना एवम् सभी को समान अवसर देना भी संविधान के दर्शन में निहित था। इसलिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता-निवारण किया गया।

पाठगत अवधारणाएँ

संविधान सभा: संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रातीय विधान सभाओं द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ। इस का गठन भारतीय संविधान निर्माण के लिए किया गया।

प्रारूप समिति: संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया जिस का काम संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस के अध्यक्ष डा० भीम राव अम्बेडकर थे।

सार्वभौमिक मताधिकार : इसके अर्न्तगत सभी भारत के नागरिक जिनकी उम्र पहले 24 वर्ष थी जो अब घटा कर 18 वर्ष कर दी है। सभी नागरिकों को व्यस्क मताधिकार प्राप्त है। (बिना किसी भेदभाव के)

धर्मनिरपेक्षता : हमारे संविधान सभी धर्मों के प्रति निरपेक्ष है अर्थात् धर्म के आधार पर कोई भी निर्णय नही किया जाता। संविधान के सामने सभी धर्म समान है।

लोकतन्त्र : जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए।

क्रियाकलाप:

1. विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय नियमों को बनाने के लिए संविधान सभा जैसी विद्यालय सभा कमेटी तैयार करके विद्यालय नियम-पुस्तिका बनवाना।
2. विद्यालय में आने वाले गरीब-कमज़ोर तथा शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा देनी चाहिए या नहीं।

   हाँ तो क्यों?

   न तो क्यों नहीं?

   ''पर चर्चा कराई जाएगी ताकि बच्चे संविधान के दर्शन के भाव की गहराई को समझ सके।''

प्रस्तावित प्रश्न

1. संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है?
2. सार्वभौमिक मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
3. मौलिक अधिकार कितने है?
4. भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएँ बताओं?
5. धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते है?

6. सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है?
7. भारतीय संविधान की किन्ही चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
8. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सबसे अच्छा हल है। आप इस संबंध में क्या सोचते है? लिखिये।

संवर्धित मूल्य

1. देश प्रेम की भावना जगाना।
2. देश के संविधान में निष्ठा बनाना।
3. देश की अखण्डता व एकता की सोच उत्पन्न करना।
4. देश के सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र व लिंग के प्रति समानता का व्यवहार लाना अर्थात् सम भाव जगाना।
5. देश में एक आदर्श नागरिक बनाना।

पाठ–3

लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

परिचय

लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का आधार रही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने पर इसकी वास्तविक आधारशिला रखी गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सत्ता पक्ष के विरूद्ध अपने विरोध व असंतोष को शान्तिपूर्ण ढंग से दर्ज करने का अधिकार है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोग धरना, रैलियों व भाषणों जैसे माध्यमों का प्रयोग करते है। भारत के संविधान में आपातकाल के उपबंध को विषम परिस्थितियों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दर्ज किया गया था। मगर 1975 से 1977 तक लगे आपातकाल के समय को लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में देखा जाता है। इस समय में घोषित आपातकाल को अनुच्छेद '352' के दुरूपयोग तथा देश पर तानाशाही को थोपने का प्रयास माना जाता है। यह काल भारतीय लोकतंत्र में संविधान की कमजोरियों का निजी हित में लाभ उठाने का काल रहा है। इस दौरान इंदिरा गाँधी एक तानाशाह के रूप में उभरी जिसने विरोधियों को सख्ती से दबाया। इस पाठ में हम गुजरात व बिहार में छात्र आन्दोलन, न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच संघर्ष, रेलवे हड़ताल, जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति, 1975 में आपातकाल के लागू होने के कारणों, घटनाक्रमों व परिणामों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम उद्देश्य/परिणाम–

इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थी

1. 1975 में आपातकाल लागू होने के कारणों तथा परिणामों को समझ पाएँगे।
2. आपातकाल की स्थिति में होने वाली कठिनाईयों का अनुभव कर सकेंगे।
3. दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, जानेंगे।
4. आपातकाल से सीखे गए सबक जान पाएँगे?
5. लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता के लगाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

विषय–वस्तु

आपातकाल की पृष्ठभूमि

1967 के बाद से ही भारतीय राजनीति में बदलाव हो रहे थे–

(I) इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी तथा वह एक शक्तिशाली व अत्यधिक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी।

(II) इस दौर में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आया।

(III) राजनीति अब व्यक्तिगत होती जा रही थी। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गाँधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद ओर अधिक गहरे हो गए थे।

आर्थिक सन्दर्भ

1. 1971 में गरीबी हटाओं के नारे के बावजूद देश में गरीबी बरकरार थी। सरकार के गरीबी को दूर करने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे थे।
2. 1971 को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नव स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में उभरा। इस युद्ध से भारत पर भारी आर्थिक संकट आया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी।
4. औद्योगिक विकास दर निरन्तर गिर रही थी।
5. मँहगाई व बेरोजगारी बढ़ रही थी।
6. मानसून की असफलता के कारण कृषि की पैदावार में कमी हुई।

गुजरात और बिहार के आंदोलन

गुजरात व बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्नों, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन किया। मोरारजी देसाई ने गुजरात से आपातकाल हटाने तथा दोबारा चुनाव करवाने के लिए दबाव डाला। 1975 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गुजरात में हार का सामना करना पड़ा।

मार्च 1974 में बिहार में भी छात्रों ने बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी, खाद्यान्न के अभाव जैसे मुद्दों के आधार पर आन्दोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस शर्त पर अपने हाथों में लिया कि आन्दोलन अहिंसक रहेगा तथा केवल बिहार तक ही सीमित नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया ताकि 'सच्चे लोकतंत्र' की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इन्कार कर दिया।

1975 में जयप्रकाश नारायण ने 'संसद-मार्च' का नेतृत्व किया। गुजरात और बिहार के आन्दोलनों को कांग्रेस विरोधी माना गया।

नक्सलवादी आन्दोलन

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खडा हुआ। नक्सलबाड़ी से शुरू होने वाला यह आंदोलन नक्सलवादी आन्दोलन के रूप में जाना जाता है। नक्सलबाड़ी में धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक ज़मीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी नहीं हिचहकिचाए। नक्सलवाद देश के कई अन्य भागों में भी तेजी से फैल रहा था।

न्यायपालिका से संघर्ष

1973 में केशवानंद भारती मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद बुनियादी ढाँचे में बदलाव नहीं कर सकती है।

1974 की रेल हड़ताल

रेल कर्मचारियों ने जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में बोनस व सेवा शर्तों के लिए हड़ताल की। यह अब तक की सबसे बड़ी रेल हड़ताल थी।

आपातकाल की घोषणा

भारत में इस प्रकार के आन्दोलनों से सरकार घबरा गई और जयप्रकाश द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ को सम्बोधित करते हुए गलत सरकारी आदेशों को न मानने के लिए आह्वान करने से सरकार को लगा कि इससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

1. अत: 25 जून 1975 की रात भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश बिना मंत्रीमण्डल से सलाह किए कर दी और राष्ट्रपति ने तुरन्त आपातकाल की घोषणा कर दी।
2. सभी बड़े-बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और सेंसरशिप लगा दी गई।
3. अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी हुई।
4. 26 जून को प्रात: 6 बजे प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल की विशेष बैठक बुलाकर आपातकाल लगाए जाने की सूचना दी।

भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने के तीन अनुच्छेद है:-

1. **अनुच्छेद 352:-** इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश में युद्ध बाह्य आक्रमण, विद्रोह,व आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है।
2. **अनुच्छेद 356:-** किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने की स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन ना चल पा रहा हो तो उस राज्य का राज्यपाल आपातकाल हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है।
3. **अनुच्छेद 360:-** इस अनुच्छेद के अनुसार देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। इस प्रकार का आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं किया गया।

संकट और सरकार का फ़ैसला

25 जून 1975 को इंदिरा गाँधी ने देश में अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति से आपातकाल को लागू करने की सिफारिश की। उपरोक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत जिसे स्वीकार कर लिया गया।

आपातकाल लागू होने के बाद सरकार ने निम्नलिखित कठोर कदम उठाए–

1. समाचार पत्रों (मीडिया) पर प्रतिबंध लगाया।
2. अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया।
3. धरनों, प्रदर्शनों एवं हड़तालों पर रोक लगाई।
4. अधिकांश विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
5. निवारक नजरबंदी का व्यापक प्रयोग किया गया।
6. मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया।

इसके साथ ही 42वां संविधान 1976 के अन्तर्गत सरकार ने निम्नलिखित संशोधन किए।

1. संसद का कार्यकाल पाँच वर्ष से बढ़ाकर छः साल कर दिया।
2. आपातकाल का समय छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया।
3. संविधान में दस मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गये।
4. इस उपबंद्ध के द्वारा तय किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त सभी कार्यवाहियों से देश में भय का वातावरण पैदा हुआ तथा सरकार द्वारा

जबरन परिवार नियोजन कार्यक्रम (नसबंदी कार्यक्रम), तुर्कमान गेट पर अवैध कब्जों को हटाना, बिना मुकदमें के लोगों की गिरफ्तारी इत्यादि ने सरकार के प्रति आक्रोश को बढ़ाया।

परन्तु इन्दिरा गाँधी एवम् सरकार को लगा कि पूरा देश आपातकाल को अनुशासन के रूप में स्वीकार कर चुका हैं। और ऐसी स्थिति में यदि चुनाव करवाएँ जाए तो कांग्रेस का लाभ होगा। 1977 ई. में आपातकाल की घोषणा को वापस लेने के बाद लोकसभा चुनाव घोषित किए गए तथा 1977 में करवाएँ गए चुनावों के परिणाम कांगेस सरकार की अपेक्षा के विपरीत आए। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस हार गई। स्वयं इन्दिरा गाँधी व उनके पुत्र संजय गाँधी को हार का सामना करना पड़ा। अनेक बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता चुनाव हार गए और चुनावों से पूर्व बनी जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।

आपातकाल के सन्दर्भ में विवाद

क्या आपातकाल ज़रूरी था?

यह एक विवादास्पद विषय है कि उस समय भारत में क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत में इंदिरा गाँधी को आपातकाल की घोषणा करने के लिए विवश होना पड़ा। 'अंदरूनी गड़बड़ी' शब्द को आधार बनाकर सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी।

आपातकाल के बाद की राजनीति

लोकसभा के चुनाव - 1977

1977 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल इंदिरा गाँधी के खिलाफ एक जुट हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी

जनता पार्टी का गठन किया। 1977 ई. के लोकसभा चुनाव को जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ा और उन्होंने आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं का हवाला देते हुए लोकतंत्र बचाओं के नाम पर प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा यहाँ तक कि इंदिरा गाँधी व उनके पुत्र संजय गाँधी भी अपने चुनाव हार गए। इस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला तथा पहली बार केन्द्र में एक गैर-कांगेसी सरकार का गठन किया गया।

जनता सरकार

1977 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय के बाद पहली बार केन्द्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तथा 1977 ई. में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी।

मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे, मगर आपसी कलह, अविश्वास व मौकापरस्ती के राजनैतिक वातावरण में उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और 1980 तक सत्ता में रहे।

जनता पार्टी का शासनकाल:-

(i) दिशाहीन, कलहपूर्ण, कमजोर नेतृत्व एवं अव्यवस्थित शासन का शिकार हुई।

(ii) यह सरकार जनता की आशा व आकाक्षांओं पर खरी नहीं उतरी।

(iii) जनता पार्टी ने 44 वाँ संविधान करके 42वें संविधान संशोधन की सभी कमियों को दूर कर दिया।

(iv) इस सरकार में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद खुलकर सामने आए।

(v) मोरारजी देसाई ने किसी अन्य पार्टी के साथ समझौता करने की बजाए त्यागपत्र देना स्वीकार किया।

इसके परिणामस्वरूप जनता पार्टी की सरकार मात्र 18 महीने के बाद गिर गई और चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री का पद संभाला।

परन्तु यह सहयोग बहुत समय तक बरकरार नहीं रहा और 1980 ई. में चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई तथा लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाए गए।

विरासत

1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजनैतिक स्थिरता के नाम पर चुनाव लड़ा और जनता ने अपना निर्णय कांग्रेस के पक्ष में दिया। और 1980 में पुन: कांग्रेस की सरकार की स्थापना हो गई।

आपातकाल के सबक

1. भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।
2. आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब 'अंदरूनी' आपातकाल सिर्फ 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को लिखित में दे।

3. आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ।

पाठगत अवधारणाएँ

1. **आपातकाल–** एक आसाधारण स्थिति है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

2. **नक्सलवादी–** 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला आन्दोलन नक्सलवाद के नाम से जाना गया। जिसमें धनी भूस्वामियों से जमीनें छीनकर भूमिहीन किसानों को दे दी गई। अपने लक्ष्यों के लिए यह हिंसा के साधनों के पक्षधर है।

3. **प्रेस सेंसरशिप–** सरकार द्वारा प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाना। समाचार पत्रों को कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

4. **शाह आयोग–** मई 1977 को जनता पार्टी की सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग का गठन "25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरूपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं" की जाँच करने के लिए किया गया था।

5. **निवारक नज़रबन्दी–** इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।

6. **गठबंधन सरकार–** जब किसी एक दल को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता, उस स्थिति में जब दो या दो से अधिक दल मिलकर आपसी सहमति से तैयार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार का निर्माण करते हैं। तो उसे गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार कहा जाता है।

7. **42वाँ संविधान संशोधन–** यह संशोधन आपातकाल के दौरान ही हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए।

प्रस्तावित/सुझावित क्रियाकलाप

1. आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं की जानकारी एकत्रित करके यह दर्ज करें कि कौन-कौन सी घटनाएँ लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध थी और उनके क्या परिणाम निकले।

2. 42 वें तथा 44 वें संविधान संशोधनों की तुलनात्मक सूची बनाए।

मूल्यांकन प्रश्न

1. चारू मजमूदार कौन था? 1 अंक

2. नक्सलवाद क्या है? 1 अंक

3. निवारक नजरबंदी क्या है? 1 अंक

4. शाह जांच आयोग की नियुक्ति कब तथा क्यों हुई? 2अंक

5. आपातकाल से सीखे गए कोई सबक बताइए। 2अंक

6. 'जिन सरकारों को लोकतंत्र विरोधी माना जाता है, मतदाता उन्हें भारी दण्ड देते हैं।' 1975–77 की आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 4अंक

7. किन्हीं चार परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई? 4अंक

8. 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के किन्हीं छः परिणामों का विश्लेषण कीजिए। 6अंक

संवंद्धित मूल्य–

1. लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी।
2. अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

पाठ-4

संविधान एक जीवंत दस्तावेज

लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदण्ड यह है कि वह एक तरफ तो राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व व टिकाऊपन दे तथा दूसरी तरफ समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक बदलाव भी किया जा सके। एक जीवंत संविधान समय के साथ उपजी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम ही नहीं होता है वरना भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होता है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारत का संविधान समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही कारण है हमारा संविधान भारत में लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने में सफल रहा है और नागरिकों के भी सम्मान का पात्र बना रहा। हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेगें की संविधान के अनुच्छेद-368 के अन्तर्गत किस प्रकार इसके विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है।

अधिगम परिणाम : इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् छात्र

1. संविधान के अर्न्तगत संशोधन प्रक्रिया को जान सकेंगे।
2. संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका अर्थ समझ सकेंगे।
3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद, विधानसभा की भूमिका जान सकेंगे।
4. संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे।
5. संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका से अवगत होंगे।

विषय वस्तु

भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया। यह संविधान विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के बाद निर्मित किया गया। इसमें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकार व कर्त्तव्य लिखे गए है। भारतीय संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है।

इसमें जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में 2016 तक 105 संशोधन हो चुके है। संशोधन प्रक्रिया ना तो बहुत आसान है ना ही जटिल है। इसलिए भारत के संविधान को लचीला और कठोर कहा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है।

भारतीय संविधान में तीन तरीके से संशोधन किया जाता है।

(1) संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाता है।

(2) संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है अनुच्छेद 368 के अनुसार।

(3) संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग शेष बहुमत के कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के अनुसमर्थन के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में ही प्रारम्भ होगी।

1. संविधान में कई अनुच्छेद है जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरी नहीं होती। यह संशोधन प्रक्रिया लचीली है।

भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद दिए है इनमें विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ है संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है।

- अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में..... नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है।
- अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा....... किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है।

संविधान के शेष खण्डों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संशोधन के दो तरीके दिए है:

(1) इसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना।

(2) संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानपालिका की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। यह संशोधन प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है।

संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। परन्तु इसमें राष्ट्रपति को पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं है। इससे संशोधन प्रक्रिया की जटिलता का पता लगता है।

संशोधन के प्रश्न पर अन्तिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है।

विशेष बहुमत: विशेष बहुमत द्वारा संशोधन से अभिप्राय है कि विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे मान ले कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित है, और ये सभी सदस्य एक विधेयक पर कम से कम 124 सदस्य मतदान करते है तो इसे विधेयक का पारित होना माना जाएगा।

(1) जबकि संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की कम से कम आधी होनी चाहिए।

(2) साथ नहीं संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की दो तिहाई होनी चाहिए।

संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं है। इसमें लोकसभा के 545 सदस्य है इसमें से 273 सदस्यों को संशोधन विधेयक को समर्थन करने के लिए आवश्यकता है।

संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग बहस के बाद जब सहमति दी जाती है अर्थात् प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति होने पर विपक्षी दलों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना, राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए।

राज्यों द्वारा अनुमोदन

संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों और केन्द्र सरकार के

बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन-प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में सशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श व सहमति आवश्यक है।

संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। कि जब आधे राज्यों की विधानपालिकाएँ किसी संशोधन को पारित नहीं कर देती तब तक यह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। संघीय सरंचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इसी प्रकार रक्षणीय बनाया है। अतः संशोधन प्रक्रिया कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी लचीला बनाया है।

संशोधन प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है तो जटिल भी नहीं है। भावी पीढ़ी अपनी जरूरतों और समयानुसार संशोधन कर सकती है।

अभी तक (2016) लगभग 105 से अधिक संशोधन हो चुके है।

भारतीय संविधान में संशोधन को निम्न प्रकार से बाँटा गया है।

(1) तकनीकी या प्रशासनिक।

(2) संविधान की व्याख्याएँ।

(3) राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन।

संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास–

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्तः के अर्न्तगत न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया।

- इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमाएँ निर्धारित की गई।
- यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन (निर्धारित सीमाओं के अन्दर) की अनुमति देता है।
- संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का निर्णय अन्तिम होगा।

पाठगत अवधारणाएँ

विधि का शासन : कानून के समक्ष सभी समान है।

विधेयकः कानून का प्रारूप

संशोधनः संविधान में कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया गया बदलाव। 1

प्रस्तावित प्रश्न

1. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
2. भारतीय संविधान में 2016 तक कितने संशोधन हो चुके है? 1
3. भारतीय संविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। 1

4. भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है? 2
5. साधारण विधेयक से क्या अभिप्राय है? 2
6. भारतीय संविधान की रक्षा व उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाले?
7. संविधान में 2000-2003 के मध्य अनेक संशोधन किए गए। उसके कोई चार कारण बताएँ? 4
8. 42वाँ संशोधन अब तक का सबसे विवादस्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? 6

क्रियाकलाप

1. विद्यार्थियों द्वारा संशोधन प्रक्रिया को अभिनय द्वारा, बहस द्वारा, चर्चा द्वारा, समूह में बाँट कर करवाना।
2. संविधान के अभी तक हुए संशोधनों की सूची बनवाना।

संर्वधित मूल्य

1. देश के प्रति एकता-अखण्डता की भावना जागृत करना।
2. एक आदर्श नागरिक बन सकेगें।
3. संविधान की आत्मा को जानते हुए संविधान में निष्ठा का भाव जगाना।
4. विद्यार्थी समानता, स्वतन्त्रता को जान कर दूसरों की समानता व स्वतन्त्रता का आदर करेगें।
5. जियों और जीने दो की भावना जागृत होगी।

पाठ-5

संघवाद

संघवाद की व्याख्या करने से पहले हमें संघ शब्द को समझना होगा। संघ शब्द अंग्रेजी शब्द 'फेडरेशन' का अनुवाद है यह शब्द लैटिन भाषा के 'फोड्स' (Feodus) शब्द से लिया गया है 'फोड्स' का अर्थ है सन्धि या समझौता। जब दो या दो से अधिक राज्य एक सन्धि अथवा समझौते के द्वारा मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो इसे संघ-राज्य कहा जाता है। इस संघ-राज्य की शासन प्रणाली में शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र तथा संघ की घटक इकाइयों के बीच विभाजित रहती हैं। इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं पहली संघीय या केन्द्रीय सरकार और दूसरी राज्यीय या प्रान्तीय सरकारें। दोनों सरकारें संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकने के लिए संविधानिक व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैण्ड और भारत संघात्मक राज्यों के उदाहरण हैं।

संघवाद के अध्ययन के उद्देश्य

(1) संघवाद से परिचित होना।

(2) विभिन्न देशों में स्थापित संघवाद का ऐतिहासिक क्रम।

(3) संघात्मक सरकार की विशेषताएँ।

(4) भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान।

(5) केन्द्र और राज्यों के मध्य विभाजित विषय।

(6) विशिष्ट बनावट और विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान।

एक संघात्मक शासन किसे माना जाए। इसका निर्धारण करने के लिए विद्धानों द्वारा कुछ विशेषताएँ या लक्षण निर्धारित किए गए है।

जिनका वर्णन इस प्रकार है।

संघात्मक शासन के आवश्यक तत्व या लक्षण

(1) लिखित एवं सर्वोच्च संविधान–संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकती। दोनों सरकारें इसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है संघ के अस्तित्व और सफल संचालन के लिए संविधान का श्रेष्ठ और कठोर होना भी आवश्यक है।

(2) शक्तियों का विभाजन–इस शासन में केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियाँ इस प्रकार विभाजित होती है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये जाते है। और जो विषय स्थानीय हितों से सम्बन्धित होते

है वे इकाइयों की सरकारों की सौंप दिये जाते है। सुरक्षा, विदेश नीति, डाक-तार, रेल, मुद्रा आदि विषयों पर केन्द्रीय सरकार कानून बनाती है और कृषि, चिकित्सा, सिंचाई, स्वायत्त शासन आदि विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है अवशिष्ट विषय केन्द्र या इकाई किसी भी सरकार को सौंपे जा सकते हैं।

(3) सर्वोच्च और स्वतन्त्र न्यायपालिका—स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। संघात्मक शासन में केन्द्र और राज्य दो साझीदार शासन व्यवस्थाएँ होती है। यद्यपि इनके अधिकार संविधान द्वारा तय है फिर भी क्षेत्राधिकार विवाद उठते हैं तथा इन विवादों का निपटारा स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा ही होता है।

(4) द्विसदनीय विद्यायिका—केन्द्रीय विधानमण्डल में दो सदन आवश्यक है। एक सदन जहाँ प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होने के कारण असमान प्रतिनिधित्व को जन्म देता है। वहीं दूसरे सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देकर संघीय इकाइयों के मध्य समानता स्थापित की जा सकती है।

कुछ विचारक संघात्मक व्यवस्था के कुछ गौण लक्षण भी मानते हैं जैसे—

(1) दोहरी नागरिकता।

(2) राज्यों की संघीय संविधान के संशोधन में पर्याप्त महत्व देना।

भारतीय संविधान में संघवाद या भारतीय संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप—राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही अनेक भारतीय नेता इस बात पर सहमत होने लगे थे कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में शासन करने के लिए शक्तियों को प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच बाँटना जरूरी होगा। संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केन्द्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धान्तों पर आधारित हो। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ-साथ संविधान एकता पर बल देता है।

संविधान निर्माताओं की इच्छा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करना था किन्तु संविधान में अंग्रेजी शब्द **'फेडरेशन'** का प्रयोग न करके **'यूनियन'** शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ यहाँ **'राज्यों का संघ'** लिया गया है। डा॰ अम्बेडकर का कहना था कि यह एक संघीय संविधान है क्योंकि यह एक दोहरे शासन तन्त्र की स्थापना करता है। जिसके केन्द्र में संघीय सरकार और परिधि में चारों और राज्य सरकारें हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। ''

डी.डी. बसु का विचार है कि ''भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और नहीं पूर्ण रूप से संघात्मक बल्कि दोनों का सममिश्रण है।

भारतीय संविधान में संघात्मकता के प्रमुख लक्षण

(1) शक्तियों का विभाजन—संविधान द्वारा ही संघ और राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं कनाडा की शासन व्यवस्था पर आधारित यह विभाजन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करता है जिससे तीन सूचियाँ और उनके विषयों का स्पष्ट उल्लेख है संघ सूची और राज्य सूची के साथ समवर्ती सूची को जोड़ा गया है जो आस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। शक्ति विभाजन की इस प्रक्रिया में आर्थिक और वित्तीय शक्यिाँ केन्द्र के पास अधिक हैं जबकि राज्यों के पास उत्तरदायित्व तो काफी है किन्तु आय के साधन कम हैं।

भारतीय संविधान में
शक्तियों का विभाजन
सातवीं अनुसूची

संघ सूची मूल संविधान
में कुल विषयों की
संख्या-97
कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं।
(1) सशस्त्र सेनाएँ
(2) अणु शक्ति
(3) विदेश मामले
(4) युद्ध एवं शान्ति
(5) डाक व तार
(6) सिक्का, टंकण
(7) विदेशी विनिमय
(8) बन्दरगाह
(9) बैंकिंग
(10) वायुसेवा
इन विषयों पर सिर्फ
केन्द्रीय सरकार ही
कानून बना सकती है।

राज्य सूची
मूल संविधान में 66 विषय थे
42 वें संशोधन द्वारा चार विषय
शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और
पक्षियों की रक्षा तथा माप-तौल
समवर्ती सूची में शामिल किये गए
कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं
(1) पुलिस
(2) न्याय
(3) जेल
(4) स्थानीय स्वशासन
(5) सार्वजनिक स्वास्थ्य
(6) कृषि
(7) सिंचाई
(8) सड़के
(9) शराब
(10) भूमि
इन विषयों पर प्रान्तीय
विधायिका कानून बनाती है।

समवर्ती सूची
मूल संविधान में 47 विषय
थे किन्तु 42 वे संशोधन
द्वारा राज्य सूची के चार
विषय तथा एक नवीन विषय
जनसंख्या नियन्त्रण और
परिवार नियोजन इस सूची
में जोड़ा गया
कुछ महत्वपूर्ण विषय है
(1) फौजदारी विधि
(2) निवारक निरोध
(3) विवाह
(4) कारखाने
(5) श्रमिक संघ
(6) औद्योगिक विवाद
(7) शिक्षा
(8) जनसंख्या नियन्त्रण
(9) वन
(10) समानों में मिलावट
इन पर केन्द्र और राज्य
दोनों का क्षेत्राधिकार है

अवशिष्ट विषय
(1) साइबर कानून
केवल केन्द्रीय विधायिका कानून बनाती है।

कुछ विशिष्ट प्रावधान

(1) कनाडा की भाँति भारत में भी अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को प्रदान की गयी हैं।

(2) अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

(3) अनुच्छेद 250 के अनुसार संकट काल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

(4) अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

(5) समवर्ती सूची के विषयों पर यदि केन्द्रीय सरकार कानून नहीं बनाती तो राज्य विधानमण्डल कानून बना सकते हैं। किन्तु संसद यदि कभी भी कानून बना दे तो राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानून शून्य होगें।

(6) अनुच्छेद 254 के अनुसार– यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, तो यह विधि संसद के कानून के होने पर भी लागू होगी।

(2) संविधान की सर्वोच्चता–भारतीय संविधान इस देश का लिखित और सर्वोच्च कानून है। इसके उपबन्ध सभी सरकारों पर बाध्यकारी है। कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। भारत में सभी कानून और शक्तियाँ संविधान के अधीन है।

(3) स्वतन्त्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका–भारतीय संविधान में ऐसे शक्ति सम्पन्न न्यायालय की व्यवस्था की गयी है जो संविधान की व्याख्या करता है तथा उसकी रक्षा करता है अर्थात् किसी भी संविधान विरोधी विधि या आदेश को वह रद्द करने की शक्ति रखता है केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवाद को यही सुलझाता है।

(4) द्वि सदनीय विधायिका–संसद के दो सदन है लोकसभा जहाँ जनता का प्रतिनिधित्व करती है वही राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के बावजूद एकात्मकता के लक्षण अधिक लक्षित होते हैं। के.सी. व्हीयर के अनुसारः-

''भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। जिसमें संघीय विशेषताएँ नाममात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। ''

भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण

संविधान द्वारा शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना और संघवादः-भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब भी केन्द्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है तभी भारत एकता और अखण्डता को हानि पहुँची है इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे कि देश की एकता बनाए रखने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केन्द्र राज्यों के सहयोग से करे। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिन्ताओं ने संविधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी।

सशक्त केन्द्रीय सरकार की स्थापना करने वाले प्रावधान इस प्रकार है।

(1) इकहरी नागरिकता

(2) शक्तियों का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में

(3) नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन

(4) एकीकृत न्याय व्यवस्था

(5) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान,

(6) संकटकाल या आपातकाल में एकात्मक शासन

(7) राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति

(8) आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति

(9) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित योजना आयोग

(10) राज्यों का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं

(11) राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए

(12) सुपरिवर्तनशील संविधान

(13) अवशिष्ट विषय केन्द्र के पास

(14) अखिल भारतीय सेवाएँ

(15) संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग

(16) मार्शल लॉ का लागू होना

(17) प्रधानमन्त्री का चमत्कारी व्यक्तित्व

भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के प्रावधानों के साथ ही इनका व्यवहारिक रूप कैसा है यह देखना भी महत्वपूर्ण विषय है।

भारतीय संघात्मक व्यवस्था का व्यवहारिक रूप

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में टकराव के कारण अथवा तनाव के प्रमुख बिन्दु

1960 के दशक में कांग्रेस के प्रभुत्व में कुछ कमी आयी। इसी कारण राज्यों में ज़्यादा शक्ति और स्वायत्व देने की माँग बलवती हुई। इस माँग का प्रमुख कारण केन्द्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारों का होना था।

1990 के दशक में गठबन्धन राजनीति के कारण एक सच्चे व्यवहारिक संघवाद की शुरूआत हुई

स्वायत्ता की माँग

कारण	*राज्य*	*दल*
(1) राज्यों की अधिक शक्ति और स्वायत्ता देना	तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिमी बंगाल	द्रुमक, अफाली माकपा
(2) संसाधनों पर नियन्त्रण और वित्तीय स्वायत्ता	पंजाब, तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल	
(3) प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण		
(4) सांस्कृतिक और भाषायी मुद्दों को उठाना (मुख्यतय: हिन्दी का विरोध)	तमिलनाडु पंजाब	डी.एम. के ए.आइ.ए.डी.एम.के.

राज्यपाल की भूमिका–संविधान निर्माताओं ने केन्द्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया। किन्तु राज्य पाल केन्द्र के एजेन्ट के रूप में काम करने लगे जिसमें मुख्यमन्त्री और राज्यपालों के बीच टकराव होने लगे इस बढते तनाव को रोकने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गयी इसके सुझाव इस प्रकार थे।

(1) अनुच्छेद 356 द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सीमित उपयोग हो।

(2) करों में राज्यों की हिस्सेदारी अधिक हों।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् का स्वतन्त्र स्थायी सचिवालय हो।

(4) राज्यपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उस राज्य से उसका गहरा सम्बन्ध न हो।

संघात्मक व्यवस्था में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी प्रदान किये नए है। जिनका वर्णन करना आवश्यक है जो इस प्रकार है–

जम्मू और कश्मीर

(1) अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गयी है। केन्द्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है।

(2) जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और ध्वज है।

(3) राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर में आन्तरिक अशान्ति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं होता है।

(4) इस राज्य में संघ सरकार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं कर सकती है।

(5) राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते है?

(6) अनुच्छेद 368 में दिये गए संविधान संशोधन के प्रावधान भी राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू-कश्मीर में लागू होते है।

पूर्वोत्तर राज्य–अनुच्छेद 371 में असम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए उनकी जनजातीय बहुल जनसंख्या को अपने विशिष्ट इतिहास, संस्कृति आदि की रक्षा के लिए है।

अन्य राज्य–हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम आदि के लिए भी विशेष प्रावधानों की व्यवस्था है।

इस प्रकार व्यवहार में भारत संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के समन्वय को प्रस्तुत करता है।

पाठ्यगत अवधारणाएँ

(1) मार्शल लॉ–शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में सेना तैनात करना।

(2) नियोजन–किसी निश्चित अवधि और पूँजी द्वारा कार्य करने की योजना।

प्रस्तावित क्रियाकलाप

(1) विद्यार्थी भारतीय मानचित्र में उन राज्यों को चिन्हित करेगें जिनमें केन्द्र सरकार वाले राजनैतिक दल व अलग दल की सरकार है केन्द्र सरकार और इन राज्य सरकारों में किन-किन मुद्दों को लेकर सहमति और असहमति है छात्र दो-दो मुद्दे लिखकर कक्षा में चर्चा करेगें।

(2) समाचार पत्रों से ऐसे समाचारों की कतरने (Cuttings) इकट्ठी करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा जिनमें बढ़ते अलगाववाद को रोकने में एक शक्तिशाली केन्द्र किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ है कक्षा में इस पर वाद-विवाद का भी आयोजन करें।

अपेक्षित प्रश्न (आंकलन)

एक अंकीय प्रश्न

(1) संघ शब्द किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? 1

(2) संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है? 1

(3) भारत के किस राज्य का अलग संविधान है? 1

दो अंकीय प्रश्न

(1) समवर्ती सूची के चार विषय लिखिए। 2

(2) एकात्मक शासन की दो विशेषताएँ लिखिए। 2

चार अंकीय प्रश्न

(1) भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4

(2) अन्तर्राज्यीय विवादों के कोई चार उदाहरण दीजिए। 4

छः अंकीय प्रश्न

(1) भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है किन्तु आत्मा एकात्मक है इस कथन की व्याख्या कीजिए। 6

संवर्धित मूल्य

(1) राज्यों द्वारा संघ का निर्माण करने का उद्देश्य समझकर छात्रों में पारस्परिक प्रेम और सहयोग का संवर्द्धन होगा।

(2) विविध भाषाओं, संस्कृतियों, क्षेत्रों के होने पर राष्ट्र के प्रति भक्ति का संचार होगा।

(3) जिस प्रकार केन्द्र के शक्तिशाली होने पर संघ अधिक स्थायी होता है उसी प्रकार छात्रों में अपने नेतृत्व को शक्तिशाली बनाने का भाव जगेगा जिससे वे एक शक्तिशाली समुदाय का गठन करेंगे।

पाठ-6

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

परिचय

आजादी के पहले से ही राष्ट्रीय आन्दोलन के अनेक नेता भारत की क्षेत्रीय व भाषायी विविधता से भली भाँति परिचित थे। भारत ने शुरू से ही इन विविधताओं को मान्यता दी और विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। यह शासकीय कुशलता व विभिन्न क्षेत्रों व भाषा-भाषी लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वाभाविक भी था। किन्तु यह आशंका बनी रही की विभिन्न राजनीतिक दल व समूह क्षेत्रीय पहचान आकांक्षा या किसी विशेष क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त न करने लगें? यह अभिव्यक्ति कहीं राष्ट्रीय सरोकारों पर प्रभावी न हो जाये?

भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति के अन्तर्गत बलवती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की समस्याओं को संवैधानिक ढाँचे के अन्तर्गत सुलझाने का प्रयास किया। ताकि विविधताओं के सम्मान के साथ-साथ राष्ट्र की एकता बनी रहे। जम्मू-कश्मीर, पंजाब व पूर्वोत्तर के राज्य आदि के उदाहरण के माध्यम से देश के समक्ष उपजी चुनौतियों व व्यवस्था की सक्षमता को समझा जा सके।

अधिगम परिणाम

इस अध्याय के अध्ययन के उपरान्त हम

1. क्षेत्रीय स्तर पर उपजी चुनौतियों को जान सकेंगे।
2. क्षेत्रीय समस्याओं के अलग-अलग कारणों को जान सकेंगे।
3. भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाये गये उपायों को समझ सकेंगे।

जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू-कश्मीर राज्य बहुलवादी समाज का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय एवं जनजातीय हर तरह की विभिन्नतायें पाई जाती है। इसी के अनुकूल अलग-अलग राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं।

जम्मू-कश्मीर में तीन अलग-अलग राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र है- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख। कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य, जम्मू, हिन्दू मुस्लिम व सिख आबादी का मिश्रण और लद्दाख में बौद्ध एवं मुस्लिम आबादी है।

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक आज़ादी के वक्त से विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही है। आज़ादी से पहले यह एक रियासत थी, जिसका शासक हिन्दू हरि सिंह और ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह अपना स्वतंत्र राज्य

चाहते थे जबकि पाकिस्तान मुस्लिम आबादी की वजह से पाकिस्तान में विलय का आकांक्षी था। यहाँ के लोग अपने को कश्मीरी सबसे पहले कुछ और बाद में मानते थे।

नेशनल कांफ्रेस के नेता शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े किन्तु वह पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। अक्टूबर 1974 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कब्जा करने भेजा। महाराज हरि सिंह भारतीय सेना से मदद माँगने के विवश हो गये । भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर करा लिए। इस बात पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला जनमत सर्वेक्षण द्वारा होगा। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर सेना ने कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ भगाया। यद्यपि राज्य का एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक कहा जाता है।

1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संविधान सभा ने संविधान की धारा 370 का प्रावधान करके कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थायें इस राज्य में लागू नहीं होती हैं। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं।

भारत में एक वर्ग धारा 370 को समाप्त करने का पक्षधर है। उसके अनुसार जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। राज्य को विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। संविधान निर्माताओं ने भी इसे अस्थायी उपबंध की श्रेणी में रखा है।

एक अन्य वर्ग जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी हैं व स्वायत्तता के पक्षधर हैं उनकी शिकायत निम्न हैं–

(i) जनमत संग्रह कराने के वायदे को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन भारत ने सामान्य स्थिति होने पर जनमत संग्रह की बात कही थी, पाकिस्तानी हस्तक्षेप से आतंकवाद तथा उसके परिणामस्वरूप लाखों कश्मीरी पंडितों के पलायन के कारण कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं आ पायी।

(ii) धारा 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया।

(iii) शेष भारत की तरह जम्मू-कश्मीर में भी स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र पर अमल हो।

आजादी के बाद से अब तक ज़्यादातर समय जम्मू-कश्मीर की राजनीति अस्थिरता अथवा गठबंधन राजनीति की विवशता से उलझती रही है। कई बार लोगों को ऐसी आशंका रही कि केन्द्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है अथवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेरा-फेरी की जा रही है। इस प्रकार की आशंकाओं को हवा पाकिस्तान व अलगाववादी समूहों द्वारा युवकों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती रही है, जिससे राज्य में उग्रवादी आन्दोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी राजनीति की तीन धाराएँ हैं–

(i) एक वर्ग कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है।

(ii) कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए।

(iii) कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा बना रहे, लेकिन उसे और अधिक स्वायन्तता दी जाए।

जम्मू-कश्मीर राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों को स्वायत्तता की माँग लुभाती है। इनकी एक आम शिकायत उपेक्षा भरे वर्ताव और पिछड़े वर्ग को लेकर है। संघर्ष व तनाव की स्थितियों के बावजूद जम्मू-कश्मीर राज्य की बहुलवादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति ज़्यादातर अकक्षुण बनी हुई है।

पंजाब

1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आये। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन से इस प्रांत की सामाजिक बनावट में बदलाव आए। इसके साथ पंजाबी भाषी प्रान्त का निर्माण हुआ, जिसकी माँग अकाली दल पहले से करते आ रहे थे।

अकालियों ने 1967 व उसके बाद 1977 में पंजाब में गठबंधन सरकार बनाई। पंजाब के नए सीमांकन के बावजूद अकालियों की राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं रही, क्योंकि

(i) केन्द्र सरकार ने उन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया था।

(ii) अकाली दल हिन्दूओं के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल नहीं कर सका।

(iii) सिख समुदाय भी दूसरे समुदायों की तरह जाति व वर्ग बँटा हुआ था। अकालियों को सभी जाति व वर्ग का समर्थन हासिल नहीं था।

1970 के दशक में अकालियों ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग आई। 1973 में आनन्दपुर साहिब सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें क्षेत्रीय स्वायन्तता की माँग उठाई गई। इस प्रस्ताव में सिख "कौम" (नेशनल या समुदाय) की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिख के "बोलवाला" (प्रमुख अथवा वर्चस्व) का ऐलान किया गया। यद्यपि यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था। लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जनसमुदाय पर मामूली असर पड़ा। 1980 में अकालियों ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बटँवारे के मुद्दे पर आन्दोलन चलाया। धार्मिक नेताओं एक वर्ग थे स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। चरमपंथियों ने भारत में अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की।

चरमपंथियों ने सशस्त्र विद्रोह का सहारा लिया। सिखो के अमृतसर स्थित पवित्र तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। भारत सरकार ने जून 1984 में 'आपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से सफल सैन्य कार्यवाही की। उग्रवादियों को मार भगाया गया। लेकिन सैन्य कार्यवाही से ऐतिहासिक व पवित्र स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुँची इससे सिखो की भावनाएँ आहत हुई। भारत से बाहर बसे ज़्यादातर सिखो ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से चरमपंथियों को और बल मिला।

31 अक्टूबर 1984 के दिन प्रधानमंत्री की उन्हीं के सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। दिल्ली सहित देश के कई भागों में सिख समुदायों के प्रति हिंसा भड़क उठी जिसमें केवल दिल्ली में 2000 से ज्यादा सिख मारे गये। कई सिख परिवारों में कोई भी सिख पुरूष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुँचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वालों का कारगर तरीके से दण्ड भी नहीं दिया गया। 1984 के दंगों से सम्बन्धित मामलों अनेक स्तरों पर लम्बित पड़े है।

1985 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी व अकालीदल के अध्यक्ष हर चंद सिंह लोगोंवाल के बीच समझौता हुआ जिसे पंजाब-समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अन्तर्गत निम्न सहमति हुई–

(i) चन्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये।

(ii) पंजाब-हरियाणा के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी।

(iii) पंजाब-हरियाणा व राजस्थान के बीच रावी-व्यास के पानी के बँटवारे के लिए न्यायाधिकरण बैठाया जायेगा।

(iv) पंजाब में उग्रवाद में प्रभावित लोगों को मुआवजा तथा उनके साथ बेहतर सुलूक करने पर सहमति हुई।

(v) पंजाब में विशेष सुरक्षा अधिनियम को वापस लिया जाएगा।

पंजाब समझौते के बावजूद हिंसक आन्दोलन चलता रहा। इस हिंसा को दबाने के लिए कार्यवाही की गई। कार्यवाहियों में मानवाधिकार के उल्लंघन की भी शिकायतें सामने आयी तथा कहा गया कि पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शान्ति बहाल हुई। हालांकि इस दौरान अकाली दल बिखर गया व राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राजनीतिक व चुनावी प्रक्रिया भी बाधित हुई। अब एक बार फिर से राज्य में आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे हैं। यद्यपि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है। लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। पंजाब में शान्ति स्थापना का जितना श्रेय सरकार और सुरक्षा बलों को जाता है उसका ही योगदान इस दिशा में पंजाब की बहुसंख्यक अमन पसंद, प्रगतिशील और राष्ट्रभक्त जनमानस का भी है।

पूर्वोत्तर राज्य

सात बहनों के नाम से जाना जाने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस क्षेत्र की सीमाएँ चीन, म्यांमार व बांग्लादेश से लगती है। 1980 के दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने विकराल रूप धारण कर लिया।

पूर्वोत्तर की सामाजिक संरचना जटिल है। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले यह इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इस इलाकें में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है। लेकिन पूर्वोत्तर व भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था कमजोर है। यहाँ की राजनीति का स्वभाव भी संवदेनशील है। पूर्वोत्तर की राजनीति में तीन मुद्दे हावी है–

(1) स्वायत्तता की मांग

(2) अलगाववादी आंदोलन

(3) बाहरी लोगों का विरोध

स्वायन्तता की माँग

आजादी के वक्त मणिपुर व त्रिपुरा को छोड़कर यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर-असमी लोगों ने असम की सरकार पर असमी भाषा थोपने का आरोप लगाया। और राजनीतिक स्वायन्तता की माँग उठाई। पूरे राज्य में असमी भाषा को थोपने के विरूद्ध दंगे हुए। जनजातीय समुदाय के लोगों ने ईस्ट इंडिया ट्राईबल यूनियन का गठन किया। जो 1960 में आल पार्टी हिल्स कांफ्रेस में बदल गया। केन्द्र सरकार ने अलग-अलग वक्त पर असम को बाँटकर मेघालय, मिजोरम व अरूणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा व मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। बावजूद इसके पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदायों की माँग खत्म नहीं हुई। जनआंदोलन चलाए गए। किन्तु छोटे राज्यों को बनाते चले जाना अब और सम्भव नहीं था। इस वजह से संघीय व्यवस्था को उपयोग कर जिला परिषद् व स्वायन्त परिषद् के रूप में स्वायत्तता प्रदान की गई। इस प्रकार जनजातीय समुदायों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया।

अलगाववादी आन्दोलन

देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मिजोरम व नागालैण्ड में अलगाववादी माँग का लम्बे समय तक सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक अलग जिला बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी ब्रिटिश इण्डिया के अंग नहीं रहे और इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में इस इलाके में भारी अकाल पड़ा जिसका समुचित प्रबंध कराने में असम सरकार विफल रही। इस कारण अलगाववादी आन्दोलन को समर्थन मिलना शुरू हुआ। इसका नेतृत्व लाल डेंगा ने किया। मिजो लोगों ने लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। 1963 में मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। 1986 में राजीव गाँधी व लालडेंगा के बीच शान्ति समझौता हुआ। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तथा उसे विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट ने अलगाववादी संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया।

आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शान्तिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है।

नागालैण्ड में अलगाववादी आन्दोलन का नेतृत्व नागा नेता अंगामी जापू फिजो ने 1951 में अपने को भारत में आजाद घोषित कर किया। हिंसक विद्रोह के बाद नागाओं के एक समूह ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। हाल ही में एक बार फिर से नागालैण्ड की समस्या के समाधान हेतु समझौते किए गए हैं, जिसका परिणाम आना बाकी है।

बाहरी लोगों के खिलाफ आन्दोलन

पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए है। इससे स्थानीय जनता में गुस्सा है। वे इसे रोजगार के मौके खोने और यहाँ की जमीन को हथियाये जाने के रूप में देखते है। 1979 में आल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) ने बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी और बंगाली व अन्य लोगों के खिलाफ आन्दोलन चलाया इनका मानना था–

(i) स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी।

(ii) प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, चाय व कोयले के बावजूद व्यापक गरीबी है। क्योंकि संसाधनों का असमी जनता के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है।

आन्दोलन के दौरान हिंसक घटनाएँ हुई। जान-माल का नुकसान हुआ। तेल आपूर्ति व रेलगाड़ियों की आवाजाही में बाधा आई। 1985 में आसू (AASU) व राजीव गाँधी के बीच समझौता हुआ। असम गण परिषद् के नाम से नया राजनीतिक दल बना जो 1985 में इस वायदे के साथ आया कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। अभी भी अप्रवासी और बाहरी जैसे मामले असम की राजनीति के प्रमुख मुद्दे हैं। जिन्हें सुलझाना एक बड़ा चुनौती है।

द्रविड़ आन्दोलन

भारतीय राजनीति में यह आन्दोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम सबसे प्रबल अभिशक्ति था। इसने अपनी माँगों के लिए सार्वजनिक बहसों व चुनावी मंच का इस्तेमाल किया। इस आन्दोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' के हाथों में थी। इस आन्दोलन से एक राजनीतिक संगठन "द्रविड़ कषगम्" का

सूत्रपात्र हुआ ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था।

यद्यपि यह आन्दोलन तमिलनाडु की राजनीति में डी. एम. के व ए. आई. डी. एम. के. के रूप में बँट गया तथापि यह वहाँ की राजनीति में प्रभावी है। तमिलनाडु की राजनीति में इन दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिन्दा रखा। इस समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद व राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है।

गोवा की मुक्ति

1947 में भारत की आज़ादी के बावजूद पुर्तगालियों ने गोवा दमन व दीव से अपना शासन हटाने से इंकार कर दिया। पुर्तगालियों ने गोवा की जनता का दमन किया। नागरिक अधिकारों से वंचित रखा और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। भारत ने पुर्तगाल को अपना शासन हटाने के लिए राजामन्द करने की कोशिश की। गोवा की मुक्ति के लिए मजबूत जन आन्दोलन चलाया, जिसे महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसम्बर 1961 में भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही कर गोवा को मुक्त करा लिया। तत्पश्चात् गोवा में जनवरी 1967 में विशेष जनमत संग्रह कराया गया जिसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं या अलग बने रहना चाहते हैं। अधिकांश लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में वोट डाला। इस तरह गोवा पहले संघ शासित प्रदेश और 1987 में भारत संघ का एक राज्य बना।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा होती है। उन्हें दबाने की बजाए लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका सबसे बेहतर होता है। लोकतांत्रिक ढाँचे में विभिन्न क्षेत्रों के दलों व समूहों को हिस्सेदार बनाना उपयोगी रहता है। क्योंकि इससे अन्याय व अलगाव का विरोध नहीं पनपता।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पिछड़े क्षत्रों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा क्षेत्रीय असंतुलन, अप्रवास में बढ़ोत्तरी करता है। जिनसे नई समस्यायें जन्म लेती है। संविधान निर्माताओं ने संघीय प्रणाली के तहत राजनीतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। यह प्रयास पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं के समाधान में परिलक्षित होता है।

इस अध्याय के अध्ययन से छात्रों में निम्न मूल्य संवर्द्धित हो सकेंगे।

- विभिन्नताओं का सम्मान करना।
- लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ना।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा समस्या का समाधान।

मूल्यांकन

1. 1960 के दशक में हिन्दी विरोधी आन्दोलन किस राज्य में चला? 1 अंक
2. 1966 में बनाए गये पंजाब व हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या था? 1 अंक

3. द्रविड़ आन्दोलन के दौरान लोकप्रिय नारा क्या था? 1 अंक

4. द्रविड़ आन्दोलन की किन्हीं दो माँगों का उल्लेख कीजिए? 2 अंक

5. आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण हैं? 2 अंक

6. पंजाब समझौते के किन्हीं चार प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक

7. कश्मीर की स्वायत्तता से सम्बन्धित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के पक्ष व विपक्ष में दो-दो तर्क दीजिए? 4 अंक

8. भारत के पूर्वोत्तर भाग की राजनीति के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए? 6 अंक